सोमवार, दिनांक 24 मई, 2004

(ज्येष्ठ 3, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. राष्ट्रगीत

सदन में राष्ट्रगीत ''वन्देमातरम'' सम्पन्न हुआ.

2. शपथ

विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-85 डोंगरगांव एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-34, अकलतरा से उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य क्रमश: डॉ. रमन सिंह तथा श्री छतराम देवागंन ने शपथ ली तथा सदस्यों की नामावली में अपने हस्ताक्षर कर सभा में अपना आसन ग्रहण किया.

3. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री रामप्रकाश गुप्ता, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, श्री बृजमोहन मिश्रा, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री बलराम पुजारी, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री भुवनेश्वर सिंह, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, तथा ठाकुर दरबार सिंह, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये.

माननीय मुख्य मंत्री डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा ने भी शोकोद्‌गार प्रकट किये.

माननीय अध्यक्ष ने सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की.

दिवंगतों के सम्मान में सदन ने दो मिनट खड़े होकर मौन धारण किया.

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10.50 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 10.58 बजे सदन की कार्यवाही पुन: प्रारंभ हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

4. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 15 तारांकित प्रश्नों में से 05 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में 13 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

5. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक रविवार, दिनांक 23 मई, 2004 को संपन्न हुई, जिसमें निम्नानुसार शासकीय विधेयकों व अन्य कार्यों के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

	शासकीय विधि विषयक कार्य	निर्धारित समय
1.	छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004	3 घंटे
2.	छत्तीसगढ़ विशेष सुरक्षा विधेयक, 2004	1 घंटा

नियम 139 के अधीन चर्चा

1.	प्रदेश में उपभोक्ता वस्तुओं एवं सीमेंट के मूल्यों में भारी वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति पर श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य द्वारा प्रस्तुत सूचना पर चर्चा.	1 घंटा 30 मिनट
2.	प्रदेश में शासन द्वारा खरीफ फसल हेतु खाद, बीज, तकाबी की पर्याप्त व्यस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य द्वारा प्रस्तुत सूचना पर चर्चा.	1 घंटा 30 मिनट

प्रतिवेदनों पर चर्चा

समिति द्वारा निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर चर्चा कराये जाने का निर्णय लिया :-

1. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) की वैधानिक ऑडिट.रिपोर्ट, उत्तर एवं प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 2001-2002.

2. छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 .

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

6. फरवरी, 2004 सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार फरवरी, 2004 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखें गए.

7. नियम 267 ''क'' के अधीन सूचनाएं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाए

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267 ''क'' के अधीन फरवरी 2004 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया.

8. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के विगत सत्रों में पारित विधेयकों में से निम्नलिखित विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है.

1. छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2001 (क्रमांक-3 सन् 2001)

2. छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2001(क्रमांक-30 सन् 2001)

3. छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध विधेयक, 2001 (क्रमांक-26 सन् 2001).

9. श्री अजीत जोगी, सदस्य विधान सभा के त्याग पत्र की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-24 मरवाही (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य श्री अजीत जोगी द्वारा दिये गये त्याग पत्र को दिनांक 21 मई, 2004 से स्वीकार कर लिया गया है.

10. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने विधान सभा नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नाम-निर्दिष्ट किया :-

1. श्री शिव प्रताप सिंह

2. श्री अघन सिंह ठाकुर

3. श्री बद्रीधर दीवान

4. श्री गणेश शंकर बाजपेयी

5. श्री धर्मजीत सिंह

6. श्री नोवेल कुमार

11. ध्यानाकर्षण

1. श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य ने रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखण्ड में काम के बदले अनाज योजना के चावल वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री मेघाराम साहू, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने शासकीय जिला चिकित्सालय, राजनांदगांव में चिकित्सकों व स्टाफ की लापरवाही से अबोध बालक की मौत होने के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

12. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने जिला दुर्ग के पाटन विधान सभा क्षेत्र के सोमती नाला स्टाप डेम में पानी के भराव हो जाने से आम नागरिकों एवं किसानों को असुविधा होने,

2. श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने राजनांदगांव शहर में बायपास रोड का निर्माण किये जाने संबधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

13. नियम 139 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में उपभोक्ता वस्तुओं एवं सीमेन्ट के मूल्यों में भारी वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति पर श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने चर्चा प्रारम्भ की.

सभापति महोदय (श्री शिवप्रताप सिंह) पीठासीन हुए

निम्नलिखित मान. सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री इंदर चौपड़ा, धर्मजीत सिंह, अघनसिंह ठाकुर, डॉ. शक्राजीत नायक श्री बद्रीधर दीवान.

(1.00 बजे 2.30 बजे तक अंतराल)

सर्वश्री गणेश शंकर बाजपेयी, विजय अग्रवाल, सियाराम कौशिक, चंदूलाल साहू, नंद कुमार पटेल, अमरजीत भगत, ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा, महंत रामसुन्दर दास, नोवेल कुमार वर्मा, तथा नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा.

श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर दिन भर के लिए सदन से बहिर्गमन किया)

सायं 4.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 25 मई, 2004 (ज्येष्ठ 4, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

मंगलवार, दिनांक 25 मई, 2004

(ज्येष्ठ 4, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 13 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

[ता. प्र. संख्या 10 (क्र. 37) प्रदेश में हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, नक्सलवादी हिंसा की घटित घटनाएं संबंधी ता. प्रश्न पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर प्रतिपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया]

प्रश्नोत्तर सूची में 07 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. मई-जून 2004 सत्र में सभा की बैठकों के समय में परिवर्तन का प्रस्ताव

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मई-जून, 2004 सत्र में सभा की बैठकों के समय में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाए :-

"10.30 बजे के स्थान पर 11.00 बजे दिन से 1.30 बजे तक तथा अपराह्न 2.30 बजे के स्थान पर 3.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक सभा की बैठकें रखी जाएं".

प्रस्ताव पर मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

3. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, नंद कुमार पटेल, भूपेश बघेल, सदस्य ने प्रदेश में सड़क निर्माण में अमानक स्तर का डामर उपयोग कर शासन को करोड़ो रुपयों का नुकसान पहुंचाने के संबंध में लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री राजेश मूणत, राज्यमंत्री, लोक निर्माण ने इस पर वक्तव्य दिया.

(श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने माननीय मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया)

2. सर्वश्री भूपेश बघेल, उदय मुदलियार, रविन्द्र चौबे, सदस्य ने दुर्ग एवं राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री ननकी राम कंवर, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(प्रतिपक्षी सदस्यों ने कृषि मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया)

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

1. माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-25 कोटा के सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, की ओर से विधान सभा नियमावली के नियम 277 (1) के अधीन आवेदन प्राप्त हुआ है. उन्होने मई-जून 2004 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है.

उनका निवेदन इस प्रकार है :-

''छत्तीसगढ़ विधान सभा का दिनांक 24-5-2004 से प्रारंभ हो रहे, विधान सभा सत्र में स्वास्थ्यगत कारणों से मेरा आना संभव नहीं है. कृपया इस हेतु अनुज्ञा प्रदान करने का कष्ट करें.''

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति चाही कि क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-25 कोटा के सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला को मई-जून, 2004 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय.

अनुज्ञा प्रदान की गई.

2. माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-36 चाम्पा के सदस्य श्री मोतीलाल देवांगन, की ओर से विधान सभा नियमावली के नियम 277 (1) के अधीन आवेदन प्राप्त हुआ है. उन्होने मई-जून, 2004 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है.

उनका निवेदन इस प्रकार है :-

''आगामी सत्र मई-जून, 2004 के दौरान मैं अपने स्वास्थ्य कारणों से सत्र में उपस्थित नहीं रहूंगा अत: अनुपस्थिति हेतु स्वीकृत प्रदान करने का कष्ट करें.''

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति चाही कि क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-36 चाम्पा के सदस्य श्री मोतीलाल देवांगन को मई-जून, 2004 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय.

अनुज्ञा प्रदान की गई.

5. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में शासन द्वारा खरीफ फसल हेतु खाद, बीज, तकाबी की पर्याप्त व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने चर्चा प्रारम्भ की.

सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :- श्री देवजी पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक

(1.01 बजे से 2.30 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

सर्वश्री अघनसिंह ठाकुर, ताम्रध्वज साहू, चंदूलाल साहू, धर्मजीत सिंह.

सभापति महोदय (श्री अघनसिंह ठाकुर) पीठासीन हुए]

श्री दयालदास बघेल, महंत रामसुन्दर दास, श्री इंदर चौपड़ा, श्री ओंकार शाह, डॉ. शिव कुमार डहरिया, श्री नोवेल कुमार वर्मा, श्री अमरजीत भगत.

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

सदन की सहमति से माननीय अध्यक्ष द्वारा सायं 4.46 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 26 मई, 2004 (ज्येष्ठ 5, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 26 मई, 2004

(ज्येष्ठ 5, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 09 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 08 प्रश्नों तथा द्वितीय चक्र में 01 प्रश्न-पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में 06 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्न काल की समाप्ति पर नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा ने जन भागीदारी समिति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं के उन्नयन किये जाने संबंधी प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा दिये गये काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की.

संसदीय कार्य मंत्री, श्री अजय चन्द्राकर ने कहा कि इस विषय पर विभाग की मांगों पर चर्चा के समय चर्चा की जा सकती है इसलिए अभी इस पर चर्चा न करायी जाए. इस पर नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा ने आसंदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रतिपक्ष के सदस्य ऐसा महसूस करने लगे हैं कि आसंदी के द्वारा जो उदारता निष्पक्षता, निर्पेक्षता या एक न्यायपूर्ण दृष्टिकोण या व्यवहार जनहित के मुद्दों के लिए होना चाहिए, उसमें कमी आई है.

माननीय अध्यक्ष ने आसंदी के प्रति नेता प्रतिपक्ष द्वारा किए गए कथन पर यह कहते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी कि उन्हें बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्ष के नेता इस तरीके से अगर बिना आधार के आरोप लगा रहें हैं. तो वे अन्य माध्यमों से अपने प्रस्ताव ला सकते हैं और वे जो कहेंगे वह करने के लिए तैयार हैं, सदन जो निर्णय लेगा वैसा होगा.

अपराह्न 12.06 बजे सदन की कार्यवाही 3.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई-3.11 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

कार्यवाही प्रारम्भ होते ही नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा ने कहा कि उनका मानना है कि उन्होंने आसंदी की अवमानना नहीं की है, न ही आसंदी के प्रति उनके मन में किसी भी प्रकार की अवमानना का आशय था.

माननीय अध्यक्ष ने निम्नानुसार व्यवस्था दी :-

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने कथन में जो शब्द उपयोग किये थे उनको वे सदन के समक्ष रखते हैं :- ''हम इस पक्ष के लोग ऐसा महसूस करने लगे है कि आसंदी के द्वारा या आसंदी में जो उदारता, निष्पक्षता, निर्पेक्षता एवं एक न्यायपूर्ण दृष्टिकोण या व्यवहार जनहित के मुद्दों के लिए जो होना चाहिए, उसमें कमी आई है''

सदन इस तथ्य से अवगत है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव के संबंध में अपना कथन पूरा किया तत्पश्चात् माननीय ससंदीय कार्य मंत्री जी ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद आसंदी की ओर से स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में कोई व्यवस्था या निर्देश नहीं दिया गया. ऐसी स्थिति में माननीय नेता प्रतिपक्ष का उपरोक्त कथन कहां तक न्यायोचित और औचित्यपूर्ण है, यह वे सदन के और उनके स्वयं के विवेक पर छोड़ते हैं लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि सदन इस बात का साक्षी है कि विगत 3 दिनों में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जिन महत्वपूर्ण और जनहित के मुद्दों को उठाया है और जितना अवसर उन्हें दिया गया है वह नेता प्रतिपक्ष के कथन को सही सिद्ध नहीं करता.

उनका मानना है कि सदन के मूल्यवान समय का सदुपयोग होना चाहिए, संसदीय लोकतंत्र के दोनों पहिए, पक्ष-प्रतिपक्ष अपनी-अपनी ओर से शालीनता बनाए रखें, ऐसी अपेक्षा वे सभी से करते हैं.

नेता प्रतिपक्ष के कथन के बाद वे इस, मामले को अब समाप्त करते हैं जो स्थगन प्रस्ताव जन-भागीदारी समिति के उन्नयन के संबंध में नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यों ने दिया है वह उनके पास विचाराधीन है उस पर उन्होंने शासन का जवाब शीघ्र मांगा है और इसे यथासंभव कल ले लिया जायेगा. वे दोनों पक्षों को शालीनता से सदन संचालन की अपील भी करते हैं.

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि आज की कार्यसूची में शामिल दोनों ध्यानाकर्षण सूचना कल ली जायेगी. पत्रों को पटल पर रखे जाने के औपचारिक कार्यवाही के बाद प्रतिवेदनों पर चर्चा होगी.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री पूनम चन्द्राकर, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1-4-2002 से दिनांक 31-3-2003 तक) पटल पर रखा .

(2) श्री पनूम चन्द्राकर, राज्यमंत्री ने ऊर्जा, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 2004-2005 पटल पर रखा.

(3) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश अधिनियम, 2002 (क्रमांक 28 सन् 2002) की धारा 4 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 21-03/2002/नौ/55 दिनांक 24 अप्रैल 2004 पटल पर रखी.

3. उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की, कि विधान सभा प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था है. विधान सभा की कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग एवं प्रस्तुतिकरण मान्य संसदीय परम्पराओं एवं गरिमानुकूल ढंग से की जानी चाहिए, जिससे आम जनता को इस सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति न केवल विश्वास रहें, वरन् निरन्तर वृद्धि हो.

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि सदन में आज यह घोषणा करते हुए उन्हें प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रक्रिया में सहभागी प्रदेश के दैनिक समाचार-पत्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय द्वारा ''उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार'' की स्थापना की जा रही है. पुरस्कार स्वरूप रुपये 21,000.00 (इक्कीस हजार मात्र) नगद तथा प्रमाण-पत्र दिया जायेगा तथा यह पुरस्कार एक बजट सत्र से द्वितीय बजट सत्र की अवधि की रिपोर्टिंग के लिए प्रतिवर्ष दिया जायेगा. तदनुसार प्रथम ''उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार'' वर्ष 2005 बजट सत्र के

पश्चात् दिया जायेगा तथा पुरस्कार दैनिक समाचार पत्र के पत्रकारों को ही दिया जायेगा. माननीय सदस्यों को पुरस्कार से संबंधित मानदण्डों की जानकारी पृथक से पत्रक भाग-दो के माध्यम से दी जा रही है.

4. प्रतिवेदन पर चर्चा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अधिनियम, 1987 की धारा 41 में कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखे जाने का प्रावधान है. लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि शासन द्वारा विश्वविद्यालय का कोई भी वार्षिक प्रतिवेदन आज तक सदन के पटल पर नहीं रखा है, केवल वार्षिक वैधानिक रिपोर्ट ही पटल पर रखी जा रही है. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा सूचित किया गया है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से अभी तक तैयार ही नहीं किया है.

उपरोक्त स्थिति के कारण वार्षिक प्रतिवेदन पर सदन चर्चा नहीं कर पाएगा जो कि उचित स्थिति नहीं है.

मेरा शासन से अनुरोध है कि शासन इसे गंभीरता से लेते हुए उक्त विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन समय पर तैयार कर सभा पटल पर शीघ्र रखा जाना सुनिश्चत करें.

चूंकि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कोई भी वार्षिक प्रतिवेदन तैयार ही नहीं किया गया है इसलिए आज सदन में वैधानिक आडिट रिपोर्ट पर चर्चा करायी जा रही है. वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर आने पर यथासमय उस पर भी चर्चा करायी जाएगी.

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, उत्तर एवं प्रबंध मण्डल की टिप्पणी वर्ष 2001-2002 पर चर्चा प्रारंभ की.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री छतराम देवांगन.

सभापति महोदय (श्री नोवेल कुमार वर्मा) पीठासीन हुए

श्री देवजी पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक.

श्री ननकी राम कंवर, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

माननीय सभापति द्वारा सदन की सहमति से सायं 5.09 बजे विधान सभा की कार्यवाही 27 मई, 2004 (ज्येष्ठ 6, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

गुरुवार, दिनांक 27 मई, 2004

(ज्येष्ठ 6, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए.

प्रश्नोत्तर सूची में 08 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में जनभागीदारी समितियों के द्वारा संचालित शालाओं को शासन द्वारा अनुदान राशि दिये जाने तथा अधिग्रहण किये जाने के संबंध में सदस्य सर्व श्री महेन्द्र कर्मा, राजकमल सिंघानिया, गणेश शंकर बाजपेयी, रविन्द्र चौबे, नंदकुमार पटेल तथा डॉ. हरिदास भारद्वाज द्वारा प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गई.

श्री विक्रम उसेंडी, शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी.

(नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में प्रतिपक्षी सदस्यों ने शासन की शिक्षा विरोधी नीति के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया)

3. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री भरत साय, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 28 मई, 2004 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय
1. (क्रमांक-2)	श्री धर्मजीत सिंह	1 घंटा
2. (क्रमांक-7)	श्री भूपेश बघेल	45 मिनट
3. (क्रमांक-8)	श्री उदय मुदलियार	45 मिनट

श्री भरत साय, सभापति ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

4. ध्यानाकर्षण

1. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में बगैर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों का संचालन किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

   श्री विक्रम उसेंडी, शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने प्रदेश के मजूदरों को तेंदूपत्ता तोड़ाई का काम न मिलने से अन्य प्रदेश में पलायन किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

   श्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा के शासकीय महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी होने,
2. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने देवकर-नचेडी, कुम्हीगुड़ा, भाठासोरही मार्ग निर्माण करने,
3. श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने राजनांदगांव स्थित महिला पॉलीटेक्निक भवन का निर्माण किये जाने, संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 275 (2) के अधीन अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004 को सदन में पुर:स्थापन करने के प्रस्ताव की अनुमति दी गई है.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

इस द्वारा सहमति प्रदान की गई.

श्री अजय चन्द्राकर, पंचायत मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 9 सन् 2004) पुर:स्थापित किया.

(1.01 बजे से 3.01 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

7. वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक का उपस्थापन

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया.

माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 31 मई, 1 जून एवं 2 जून, 2004 तक का समय आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए नियत किया गया.

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचना दिनांक 28 मई, 2004 को अपरान्ह 4.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है. कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं.

3.53 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक, 28 मई 2004 (ज्येष्ठ 7, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

शुक्रवार, दिनांक 28 मई, 2004

(ज्येष्ठ 7, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

सभापति महोदय (श्री नोवेल कुमार वर्मा) पीठासीन हुए

[ता. प्र. संख्या 10 (क्र. 314) विधान सभा क्षेत्र पलारी अंतर्गत राजस्व एवं वनग्रामों की संख्या संबंधी डा. शिवकुमार डहरिया के तारांकित प्रश्न पर चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया.]

प्रश्नोत्तर सूची में 14 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 27 मई, 2004 को संपन्न हुई, जिसमें वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

वित्तीय कार्य

क्र.	मा. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	निर्धारित समय
1.	श्री अजय चन्द्राकर	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2 घंटे
		80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
		59	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	
		28	राज्य विधान मंडल	
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	3	पुलिस विभाग से संबंधित व्यय	2 घंटे
		4	गृह विभाग से संबंधित व्यय	
		5	जेल विभाग से संबंधित व्यय	

क्र.	मा. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	निर्धारित समय
		18	श्रम विभाग से संबंधित व्यय	
		26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	2 घंटे
		37	पर्यटन विभाग से संबंधित व्यय	
		51	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	
3.	श्री ननकीराम कंवर	13	कृषि	
		14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	
		16	मछलीपालन	
		17	सहकारिता	2 घंटे 30
		54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	मिनट
		71	पशुपालन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	
		29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	
4.	श्री अमर अग्रवाल	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	
		7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	
		31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	
		50	20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	2 घंटे
		60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	
		22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय	
		69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	
		81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
5.	श्री राम विचार नेताम	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	
		33	आदिमजाति कल्याण	
		41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	
		42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	2 घंटे 30 मिनट
		49	अनुसूचित जाति कल्याण	
		53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	
		64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
		66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
		68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	

क्र.	मा. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	निर्धारित समय
		77	बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाए.	
		82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	2 घंटे 30
		83	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	मिनट
		8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	
		9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	
		35	पुनर्वास	
		58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	
6.	श्री गणेशराम भगत	10	वन	1 घंटा
		21	आवास एवं पर्यावरण से संबंधित व्यय	30 मिनट
7.	श्री मेघाराम साहू	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	1 घंटा 30 मिनट
8.	श्री हेमचंद यादव	23	जल संसाधन विभाग	
		40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	
		43	खेल एवं युवक कल्याण	1 घंटा
		45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	30 मिनट
		57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	
		75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	
9.	श्री विक्रम उसेंडी	27	स्कूल शिक्षा	
		44	उच्च शिक्षा	1 घंटा
		46	विज्ञान एवं टेक्नालॉजी	30 मिनट
		47	तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन विभाग	
10.	श्री राजेश मूणत	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	
		67	लोक निर्माण कार्य-भवन	1 घंटा
		76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	30 मिनट

क्र.	मा. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	निर्धारित समय
11.	डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1 घंटा 30 मिनट
		61	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	
		79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	
12.	श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	1 घंटा 30 मिनट
		56	ग्रामोद्योग	
		78	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	
		36	परिवहन	
13.	श्री केदार कश्यप	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	1 घंटा 30 मिनट
14.	श्रीमती रेणुका सिंह	34	समाज कल्याण	1 घंटा
		55	महिला एवं बाल विकास	
15.	डॉ. रमन सिंह	1	सामान्य प्रशासन	3 घंटे
		2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	
		12	ऊर्जा विभाग से संबंधित	
		32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	
		65	विमानन	
		25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

3. ध्यानाकर्षण

सभापति महोदय ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं में नहीं ली जा सकती है. सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके

आज की कार्य-सूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है. लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हो केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चारों ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर एक घन्टे में चर्चा समाप्त हो सके इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करेंगे.

इस संबंध में सदन से सहमति चाही गई.

सहमति प्रदान की गई.

1. सभापति महोदय ने सदन को सूचित किया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा ने अनुरोध किया है कि उन्हें आज मुख्य-न्यायाधीश की शपथ ग्रहण समारोह में जाना है. अत: आज की कार्यसूची में शामिल उनकी ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 01 को किसी आगामी दिवस में लिया जाए. माननीय नेता प्रतिपक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 01 स्थगित की जाती है तथा यह दिनांक 07-06-2004 को ली जाएगी.

2. श्री नन्दकुमार पटेल, सदस्य ने राजधानी रायपुर में पेयजल का संकट उत्पन्न होने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के दौरान सड़क के आस-पास गड्ढे खोदे जाने से आवागमन में असुविधा होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया

सभापति महोदय (श्री अघनसिंह ठाकुर) पीठासीन हुए

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. श्री नोवले कुमार वर्मा, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा में उचित मूल्य की दुकानों से खाद्य सामग्री एवं मिट्टी के तेल की कालाबाजारी किये जाने के संबंध में खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री मेघाराम साहू, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने खाद्य मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया)

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने ग्राम कोदवा विकासखण्ड बरेला जिला दुर्ग में 33 के. व्ही. के सब स्टेशन स्वीकृत किये जाने,

2. श्री उदय मुदिलियार, सदस्य ने लखोली से जंगलेश्वर पहुँच मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

3. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने विश्रामपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा मजदूरों को भुगतान न किये जाने, संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी.

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक-दो में अंकित कार्य पूर्ण हो चुका है. शुक्रवार के अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए नियत है. केवल अब अशासकीय कार्य शेष बचा है.

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक-3 में अंकित अशासकीय कार्य लेने की घोषणा की.

5. अशासकीय संकल्प

1. श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :- सदन का यह मत है कि प्रदेश में सिकल बीमारी की रोकथाम हेतु सभी जिला अस्पतालों में इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट सुविधा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में माईक्रोस्कोप द्वारा खून की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा शादी के पूर्व खून की जांच अनिवार्य की जाए. तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :- श्री इंदर चौपड़ा.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री देवजी भाई पटेल, डॉ. चेतन वर्मा.

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से- अशासकीय संकल्पों पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की)

सदस्य श्री विजय अग्रवाल, डा. शिवकुमार डहरिया, डॉ. सुभाउ कश्यप, महंत रामसुन्दर दास, डॉ. शक्राजीत नायक.

डॉ. कृष्ण मूर्ति बांधी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत सदन में निम्नानुसार यथा संशोधित संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ :-

''सदन का यह मत है कि प्रदेश में सिकल बीमारी की रोकथाम हेतु सभी जिला अस्पतालों में इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट सुविधा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में माईक्रस्कोप द्वारा खून की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाए''.

2. श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :- यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में सर्वसुविधायुक्त खेल परिसर की व्यवस्था की जाए.'' तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सदस्य-श्री संजीव शाह, महंत राम सुन्दरदास, कु. पिंकी ध्रुव, श्री बद्रीधर दीवान, श्री चुरावन मंगेशकर, श्री विनोद खांडेकर.

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ.

2.47 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 31 मई, 2004 (ज्येष्ठ 10, 1926) के पूर्वाह्न11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

सोमवार, दिनांक 31 मई, 2004

(ज्येष्ठ 10, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 09 तारांकित प्रश्नों एवं 23 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने रायगढ़ जिले के बरमकेला विकासखण्ड के ग्राम-खिरची में विद्युत मंडल के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लाठीचार्ज होने के संबंध में सदस्य सर्वश्री नंदकुमार पटेल, सत्यनारायण शर्मा, गुलाब सिंह, रामपुकार सिंह, भूपेश बघेल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ. शक्राजीत नायक एवं श्री धर्मजीत सिंह की प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचना पढ़ी.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया तथा आग्रह किया कि इस स्थगन प्रस्ताव को चर्चा हेतु ग्राह्य किया जाए. मान. मंत्री ने तत्काल चर्चा का भी मान. अध्यक्ष से अनुरोध किया.

माननीय अध्यक्ष ने शासन की सहमति के परिप्रेक्ष्य में स्थगन प्रस्ताव को चर्चा हेतु ग्राह्य कर तत्काल इस पर चर्चा प्रारम्भ करने की घोषणा की.

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया : -

सर्वश्री नंदकुमार पटेल, अमर अग्रवाल, सत्यनारायण शर्मा, रामविचार नेताम, डॉ. शक्राजीत नायक, सवश्री देवजी पटेल, गुलाब सिंह, विजय अग्रवाल, रामपुकार सिंह, इंदर चौपड़ा, भूपेश बघेल, सत्यानंद राठिया.

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक दोपहर 2.00 बजे तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, अजय चन्द्राकर, गणेश शंकर बाजपेयी.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से स्थगन प्रस्ताव की चर्चा पर माननीय गृह मंत्री का उत्तर पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया.

(2.06 बजे से 3.30 तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकोश पाण्डेय) पीठासीन हुए

3. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि आज की कार्यसूची में दर्ज ध्यानाकर्षण एवं शून्यकाल की सूचनाएं कल ली जाएगी.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

1. श्री संजीव शाह, सदस्य ने ग्राम झिरिया व मुंजाल त. अ. चौकी जिला राजनांदगांव एड़मागोदी सिंचाई जलाशय का एक्वाडक्ट की मरम्मत करने के संबंध में,

ग्राम तेरेगांव मानपुर विकासखण्ड में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में,

विकासखण्ड अ. चौकी जिला राजनांदगांव चिल्हारी स्थित उ. मा. वि. में कला एवं विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में,

सिंचाई उप संभाग अ. चौकी जिला राजनांदगांव में हालम कोडो सिंचाई जलाशय का निर्माण पूर्ण किये जाने, एवं

2. मंहत रामसुन्दर दास, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा के विकासखण्ड नवागढ़ के ब्लाक मुख्यालय को नवागढ़ में स्थापित करने एवं विकासखण्ड स्तर के कार्यो को नवागढ़ से संचालित करने संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की.

5. वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव.

सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए

श्री अघनसिंह ठाकुर, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री बद्रीधर दीवान, मंहत रामसुन्दरदास, श्री विजय अग्रवाल.

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सदस्य श्री विजय अग्रवाल का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

(वर्ष 2004-2005 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा अपूर्ण रही)

सायं 5.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 01 जून, 2004 (ज्येष्ठ 11, 1926) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

मंगलवार, दिनांक 1 जून, 2004

(ज्येष्ठ 11, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 04 तारांकित प्रश्नों एवं 14 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल समाप्त होते ही प्रतिपक्ष के सदस्य सर्वश्री रविन्द्र चौबे, सत्यनारायण शर्मा, भूपेश बघेल एवं अन्य ने मामला उठाया कि कल सदन में रायगढ़ जिले के बरमकेला में विद्युत मण्डल के शिलान्यास कार्यक्रम में लाठीचार्ज होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष की ओर से यह कहा गया था कि शासन ने इस मामले में कोई मुकदमा कायम नहीं किया है लेकिन शासन द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि डॉ. शक्राजीत नायक के खिलाफ मुकदमा दायर कर द्वेषवश कार्यवाही की जा रही है.

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि वे इस मामले में शासन से पूरी जानकारी लेंगे और पक्ष, विपक्ष दोनों से अपने कक्ष में चर्चा कर जो उचित होगा, वह कार्यवाही करेंगे.

प्रतिपक्ष दल के सदस्यों ने यह कहते हुए कार्यवाही का बहिष्कार किया कि जब तक इस मामले में चर्चा नहीं की जाती तब तक वे सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हैं.

2. ध्यानाकर्षण

1. श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य ने कांकेर जिला अंतर्गत भैंसाकन्हार, आरी डोंगरी संरक्षित वन क्षेत्र में लौह अयस्क का अवैध उत्खनन एवं इमारती लकड़ी की अवैध कटाई होने के संबंध में खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री पूनम चंद्राकर, राज्यमंत्री (मुख्यमंत्री से संबद्ध) ने इस पर व्यक्तव्य दिया.

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य की कुम्हारी जिला दुर्ग में स्थित केडिया शराब फैक्ट्री के श्रमिकों को सेवा से पृथक किये जाने के संबंध में कार्यसूची में दर्ज ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक-2 उनके अनुपस्थित रहने से व्यपगत मानी गई.

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने शासन द्वारा क्रीडा अधिकारी एवं व्यायाम शिक्षकों के पद रिक्त होने संबंधी, शून्यकाल की सूचना पढ़ी.

4. वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:- श्री चंदूलाल साहू.

सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए

श्री दयालदास बघेल, श्री छतराम देवांगन, श्रीमती रमशीला साहू, सुश्री लता उसेंडी.

(1.29 बजे से 3.04 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

सुश्री पिंकी ध्रुव, श्री इंदर चोपड़ा.

आय-व्ययक पर चल रही सामान्य चर्चा के दौरान गृह मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने शासन की ओर से माननीय अध्यक्ष से निवेदन किया कि वे प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह करें कि वे सदन में आकर आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में भाग लें.

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्होने अपने कक्ष में दोनों पक्षों के सदस्यों को बुलाया था और माननीय सदस्य डॉ. शक्राजीत नायक के मामले में शासन से जानकारी लेकर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन प्रतिपक्षी सदस्यों को दिया था प्रतिपक्षी सदस्यों से उन्होने यह भी अनुरोध किया था कि वे कार्यवाही में भाग लें और सदन के सुचारू संचालन में सहयोग दें. लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेही हम सभी की है, इसलिए बजट पर चल रही सामान्य चर्चा में सभी सदस्य भाग लें, यह इच्छा उन्होने प्रतिपक्षी सदस्यों के समक्ष रखी. प्रतिपक्ष के सदस्य सदन में अभी तक नहीं आए.

माननीय अध्यक्ष ने पुनः प्रतिपक्षी सदस्यों से अपील की कि वे सदन में आएं और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लें.

5. वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्री नोवेल कुमार वर्मा, श्री देवलाल दुग्गा.

सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए

श्री देवजी पटेल, श्री बालमुकुंद देवांगन, श्री लच्छूराम कश्यप.

(सभा की कार्यवाही समाप्त होने तक प्रतिपक्षी सदस्य आय-व्ययक पर चल रही सामान्य चर्चा में भाग लेने हेतु सभा में उपस्थित नहीं हुए)

सायं 5.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 2 जून, 2004 (ज्येष्ठ 12, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 02 जून, 2004

(ज्येष्ठ 12, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती भुलेश्वरी दीपा साहू के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये.

संसदीय कार्य मंत्री श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नोवेल कुमार वर्मा, श्रीमति रमशीला साहू एवं मुख्य मंत्री डॉ. रमन सिंह ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये.

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगत के सम्मान में 11.12 बजे सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 11.20 बजे पुन: प्रारम्भ हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 17 तारांकित प्रश्नों में से 3 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

ता. प्र. सं.-1 (क्रमांक-469) प्रदेश में धान खरीदी में व्यय राशि संबंधी तारांकित प्रश्न पर चर्चा के दौरान प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन की समिति से जांच की मांग पर माननीय अध्यक्ष ने शासन को निर्देशित किया कि ''वे अपेक्षा करेंगे कि शासन पूरी स्थिति स्पष्ट करें तथा यथासंभव अगले सप्ताह शासन का इस पर वक्तव्य आ जाए तो उचित है''.

प्रश्नोत्तर सूची में 13 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्न काल समाप्त होते ही प्रतिपक्षी सदस्यों ने यह कहते हुए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया कि जब तक सदस्य डॉ. शक्राजीत नायक के खिलाफ शासन द्वारा दर्ज मुकदमा वापस नहीं लिया जाता तब तक वे सदन की कार्यवाही में भाग लेने में असमर्थ है.

3. ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं ली जा सकती है. सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके उन्होंने आज की

कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही उनका अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हो केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चारों ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर एक घन्टे में चर्चा समाप्त हो सकें इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करेंगे.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

सभापति महोदय (श्री अघनसिंह ठाकुर) पीठासीन हुए

1. सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, उदय मुदलियार, सदस्य प्रदेश में किसानों को वृष्टिछाया योजनान्तर्गत नलकूप हेतु विद्युत कनेक्शन न मिलने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के अनुपस्थित रहने से सदन में प्रस्तुत नहीं हुई.

2. कु. लता उसेंडी, सदस्य ने बस्तर जिले में बचेली से सुकमा के बीच पाइप लाइन बिछाने के लिये निजी एवं शासकीय भूमि के वृक्षों की कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सत्यानंद राठिया, राज्य मंत्री वन ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. श्री भूपेश बघेल, सदस्य की प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती किये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुतकर्ता सदस्य के अनुस्थित रहने से सदन में प्रस्तुत नहीं हुई.

4. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने विपणन संघ एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से धान में अंकुरण होने के संबंध में खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री मेघाराम साहू, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

श्री नोवले कुमार वर्मा, सदस्य ने केन्द्रीय सहकारी बैंक, डभरा द्वारा जिला जाजगीर-चांपा के कृषकों को बारदानों का भुगतान न किये जाने संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी.

5. वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री संजीव शाह, श्री संजय ढीढी, डॉ. त्रिविक्रम भोई, श्री कमल भान सिंह.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

श्री प्रीतम साहू.

(1.30 बजे से 3.03 बजे तक अंतराल)

सभापति महोदय (श्री अघनसिंह ठाकुर) पीठासीन हुए

श्री लाल महेन्द्रसिंह टेकाम, श्री सिद्धनाथ, श्री रामसेवक पैकरा.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

डॉ. सुभाऊ कश्यप.

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था दी :-

कल शून्यकाल के दौरान प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने रायगढ़ जिले के बरमकेला विकासखण्ड के ग्राम खिचरी में एक शासकीय कार्यक्रम के दौरान हुई घटना के संदर्भ में माननीय विधायक श्री शक्राजीत नायक के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा मुकदमा कायम कराए जाने के संबंध में मामला उठाया था. मैंने सदन को आश्वस्त किया था कि मैं इस मामले में शासन से जानकारी लूंगा और मामले में समुचित कार्यवाही भी करूंगा.

इस संबंध में मैंने कांग्रेस पक्ष सदस्यों के साथ-साथ शासन पक्ष के सदस्यों, माननीय मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से भी चर्चा की. शासन पक्ष ने कांग्रेस पक्ष को मामले की वस्तुस्थिति भी बताई. सभी बिन्दुओं पर चर्चा के बाद अपने कक्ष में और सदन में मैंने स्वयं और शासन पक्ष ने भी कांग्रेस पक्ष के सदस्यों से कार्यवाही में भाग लेने की अपील की लेकिन कल प्रतिपक्षी सदस्य सदन की बैठक में नहीं आए और बजट पर सामान्य चर्चा में भाग नहीं लिया, न ही ध्यानाकर्षण प्रस्तुत किए.

आज पुन: शून्यकाल में श्री नन्दकुमार पटेल, सदस्य ने यह मामला उठाया और माननीय सदस्य डॉ. शक्राजीत नायक के विरुद्ध फर्जी मामला बनाए जाने और दर्ज मामले वापिस लेने की मांग करते हुए कांग्रेस पक्ष के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए. बर्हिगमन के कारण न तो उन्होंने बजट की सामान्य चर्चा में भाग लिया, न ही आज की कार्यसूची में दर्ज ''वृष्टिछाया योजनान्तर्गत नलकूप हेतु विद्युत कनेक्शन देने'' और ''विद्युत कटौती'' जैसे महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा में भाग लिया.

जैसा कि मैंने कल आश्वस्त किया था मैंने मामले पर शासन से प्रतिवेदन लिया. इस मामले को देखने पर मैंने पाया कि पुलिस अधिकारी श्री हीरालाल मरावी, उप निरीक्षक व सी. एस. ई. बी. के अधिकारी श्री रणधीर दियासी, सहायक यंत्री की रिपोर्ट पर माननीय विधायक व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है न कि किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट पर. दोनों अधिकारियों के साथ हुई मारपीट और उन्हें आई चोटों के कारण स्थिति यह बनीं है.

इस मामले में दिनांक 31-5-04 को सदन में हुई चर्चा की ओर भी मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा जिसमें स्वयं माननीय सदस्य श्री शक्राजीत नायक ने यह कथन किया है कि उन्होंने वहां पर कार्यक्रम का प्रतीकात्मक विरोध किया, कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया और शिलान्यास पत्थर में माननीय विधायक का नाम न होने से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्तेजित हुए. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्वक नारेबाजी कर रहे थे.

इससे यह तो स्पष्ट होता है कि माननीय विधायक के नेतृत्व में ही यह कार्यवाही हो रही थी. ऐसे में यह कहना कि पुलिस व सी. एस. ई. बी. के अधिकारियों की रिपोर्ट पर फर्जी मामला दर्ज हुआ है प्रथम दृष्टया सही प्रतीत नहीं होता फिर भी मामले की विवेचना के बाद ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

मामले के तथ्यों को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि माननीय विधायक ने राजनैतिक नेता की हैसियत से यह कार्य किया न कि विधायी हैसियत से. एक वरिष्ठ विधायक एवं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते निश्चित ही वे इसके परिणामों से भी अवगत थे.

इस मामले को जहां तक मैं समझ पाया हूं मूल विषय शिलान्यास पत्थर में माननीय विधायक का नाम न होना ही था. मैंने इस संबंध में शासन के परिपत्र देखे. राज्य शासन की ओर से अभी तक ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं हुआ है जिसमें माननीय विधायकों का नाम शिलान्यास पत्थर में लिखा जाना अनिवार्य किया हो. मामले पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री नायक ने ऐसा परिपत्र होने की बात की थी. मैंने उनसे वह परिपत्र मांगा भी था लेकिन उन्होंने न तो मुझे परिपत्र दिया न पटल पर ही रखा. ऐसी स्थिति में जब शासन का कोई निर्देश न हो और माननीय विधायक को जब अतिथि के रूप में बुलाया गया हो और आमंत्रण पत्र में उनका नाम भी हो, माननीय विधायक का शिलान्यास पत्थर में नाम लिखने के आग्रह स्वरूप विरोध व्यक्त करना व कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी करना कहां तक उचित था यह मैं उन्हीं के विवेक पर छोड़ता हूं.

राजनैतिक आंदोलनों में माननीय विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं पर मुकदमें कायम होना कोई नई या असाधारण बात नहीं है. ऐसे मुकदमे अधिकांश विधायकों एवं राजनेताओं पर कायम होते हैं, इसलिए राजनैतिक आंदोलनों के संदर्भ में दर्ज मुकदमे वापिस लेने की बात कहकर दो दिन तक लगातार सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कहां तक जनहित में हैं यह भी मैं कांग्रेस पक्ष के विचार के लिए और आम जनता के विवेक पर छोड़ता हूं.

जहां तक इस सभा का संबंध है मैंने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थापित परम्पराओं के विरुद्ध बजट पर सामान्य चर्चा प्रारंभ होने के दिन स्थगन को चर्चा हेतु ग्राह्य कर चर्चा कराई और सदन में सारी स्थिति स्पष्ट भी हो गई.

संसदीय लोकतंत्र में प्रतीकात्मक विरोध के तरीके हैं ऐसे में सदन से बहिर्गमन भी एक स्वस्थ तरीका है लेकिन ऐसा बहिर्गमन किस सीमा तक हो और क्या यह जनहित के मामलों पर सदन में चर्चा न करने की सीमा तक हो ? यह विचारणीय है.

मेरा ऐसा मानना है कि बजट सत्र में बजट पर सामान्य चर्चा जनहित के मामलों के उठाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवसर होता है, इसका लाभ जनहित में उठाना चाहिए था. यही नहीं आज की ध्यानाकर्षण सूचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर थी, उसमें भी सदस्यों को भाग लेना चाहिए था.

मैं पुनः कांग्रेस पक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे बजट पर चर्चा में शामिल हों और एक स्वस्थ परम्परा का निर्वाह करें जो अतीत में छत्तीसगढ़ की विधान सभा ने स्थापित की है.

अंत में एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय विधायकों के मान-सम्मान की पूरी रक्षा होगी और वे अपने विधायी कार्य निर्भीक ढंग से बिना किसी व्यवधान के करें यह सुनिश्चित किया जाएगा लेकिन माननीय सदस्यों को अपने विधायी एवं राजनैतिक कर्त्तव्यों में फर्क करना होगा और ऐसी स्थितियों से बचना होगा जिससे ऐसी अप्रिय स्थितियां बनें.

7. वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्री भरत साय, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

माननीय वित्त मंत्री के उत्तर के दौरान माननीय अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए निम्नानुसर व्यवस्था दी :-

''आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का आज अंतिम दिन हैं.माननीय वित्त मंत्रीजी चर्चा का उत्तर दे रहे है. यह महत्वपूर्ण अवसर है. अच्छा होता कि सभी मंत्रीगण इस अवसर पर उपस्थित रहते. पूर्व में भी यही परम्परा रही है. कि ऐसे अवसरों पर अधिकतर मंत्रिगण उपस्थित रहते हैं.''

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से 4.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 7 जून, 2004 (ज्येष्ठ 17, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

सोमवार, दिनांक 7 जून, 2004

(ज्येष्ठ 17, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 04 तारांकित प्रश्नों तथा 15 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल समाप्त होते ही नेता प्रपिपक्ष ने कहा कि पिछले सप्ताह सदन की कार्यवाही में उत्पन्न गतिरोध के मामलें में उनकी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है. मुख्यमंत्री जी के आने के बाद आप और हम बैठकर उस मामलें में चर्चा कर लेंगे, तब तक प्रतिपक्ष कार्यवाही में भाग लेना जारी रखेगा.

2. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि द्वितीय विधान सभा के सदस्यों के ''सदस्य परिचय'' संबंधी पुस्तक के प्रकाशन हेतु माननीय सदस्यों से निर्धारित प्रारूप में उनका जीवनवृत्त एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज के दो छायाचित्र उपलब्ध कराने हेतु पत्रक के द्वारा दिनांक 24 मई, 2004 को अनुरोध किया गया है किन्तु आज दिनांक तक केवल 14 सदस्यों ने ही विधान सभा सचिवालय में जानकारी दी है.

उनका सभी सदस्यों से अनुरोध है कि निर्धारित प्रारूप में जीवनवृत्त दिनांक 10 जून, 2004 तक आवयश्क रूप से सचिवालय की अनुसंधान शाखा को उपलब्ध करा दें.

माननीय अध्यक्ष ने सदन को यह भी सूचित किया कि आज सायं 8.00 बजे से छत्तीसगढ़ के पारम्परिक लोक नृत्यों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कार्यक्रम पश्चात् रात्रि भोज का आयोजन माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री अजय चन्द्राकर द्वारा आयोजित किया जा रहा है. सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में निर्धारित समय पर पधारें.

3. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, मोहम्मद अकबर, सदस्य ने लोक मान्य सहकारी गृह निर्माण संस्था रोहणीपुरम, रायपुर के संचालक मंडल द्वारा संस्था की राशि में हेरा फेरी तथा अनियमितता किये जाने के संबंध में सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने सरगुजा जिले के विकासखण्ड राजपुर के ग्राम बूढ़ा बगीचा के एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत होने के संबंध में गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बृजमोहन अग्रवाल , गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री ओंकारशाह, सदस्य ने रायपुर जिले के ग्राम चौरेंगा में शासकीय पट्टे की भूमि को राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा षड़यंत्रपूर्वक रजिस्ट्री कर लाभ अर्जित करने,

2. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में लो-वोल्टेज की समस्या होने,

3. श्री गुलाब सिंह, सदस्य ने कोरिया जिले में देशी तथा विदेशी शराब की अवैध बिक्री होने,

4. श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने राजनांदगांव नगरपालिका निगम के वार्ड क्रमांक 01 से लेकर 12 में पानी की टंकी के निर्माण करने, संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी.

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर चर्चा और बजट साहित्य समझने में सुविधा की दृष्टि से दिनांक 08 एवं 09 जून, 2004 को भोजनावकाश में माननीय सदस्यों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम, समिति कक्ष क्रमांक 02 में आयोजित है.

माननीय सदस्य प्रशिक्षण से संबंधित साहित्य आज दिनांक 07 जून, 2004 को सूचना कक्ष से प्राप्त कर सकते हैं.

5. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

श्री अजय चन्द्राकर, पंचायत मंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित मांग संख्या-30, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं को वित्तिय सहायता से संबंधित मांग सख्या-80, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या-59, राज्य विधान मण्डल से संबंधित मांग संख्या-28 प्रस्तुत की.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

सभापति महोदय (श्री अघनसिंह ठाकुर) पीठासीन हुए

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

सर्वश्री बद्रीधर दीवान, उदय मुदलियार,

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा परिसर में, समिति कक्ष-2 के समीप जेल विभाग की ओर से, कैदियों द्वारा निर्मित सामग्री विक्रय केन्द्र का शुभारंभ आज किया जा रहा है.

माननीय सदस्य भोजन ग्रहण करने के बाद वहां पहुंचे.

(1.30 बजे से 3.00 तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

सर्वश्री अघनसिंह ठाकुर, धर्मजीत सिंह, विजय अग्रवाल, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री इंदर चौपड़ा, कु. कामदा जोल्हे.

सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए

सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, धनेन्द्र साहू, प्रीतम साहू, सत्यनारायण शर्मा, डॉ. बालमुकुन्द देवांगन, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री देवव्रत सिंह, डॉ. सुभाऊ कश्यप, श्री रविन्द्र चौबे.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय पंचायत मंत्री का उत्तर पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

सर्वश्री देवजी पटेल, ओंकार शाह, चन्द्रभान सिंह, देवलाल दुग्गा, सियाराम कौशिक, चुरावन मंगेशकर.

श्री अजय चन्द्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

सायं 6.54 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 8 जून, 2004 (ज्येष्ठ 18, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

मंगलवार, दिनांक 8 जून, 2004

(ज्येष्ठ 18, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 11 तारांकित प्रश्नों तथा 12 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों को आय-व्ययक से संबंधित विस्तृत जानकारी देने हेतु आज दिनांक 8 एवं कल 9 जून, 2004 को विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-02 में प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. यह प्रशिक्षण वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिया जाएगा. इस कारण आज व कल सभा की बैठक दोपहर एक बजे तक रहेगी. एक बजे से 2.30 बजे तक प्रबोधन कार्यक्रम होगा, तत्पश्चात् 2.30 बजे से 3.00 बजे के मध्य माननीय सदस्यों के लिए भोजन व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. अपराह्न 3 बजे से सभा की बैठक पुनः प्रारम्भ होगी. सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस महत्वपूर्ण प्रबोधन कार्यक्रम में आवश्यक रूप से सम्मिलित हों ताकि बजट चर्चा में वे अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें.

3. ध्यानाकर्षण

1. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य ने राजनांदगांव जिले में अवैध रूप से गिट्टी का उत्खन्न किये जाने तथा क्रेशर व डामर प्लांट लगाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

   श्री पूनम चन्द्राकर, राज्यमंत्री (मुख्यमंत्री से सम्बद्ध) ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री लच्छूराम कश्यप, सदस्य ने इन्द्रावती नदी के जल स्तर में कमी से पानी की समस्या उत्पन्न होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

   श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री योगेश्वरराज सिंह, सदस्य ने विकासखण्ड बोड़ला में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति आदेश पर रोक लगाये जाने,

2. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग के फोरलेन निर्माण कार्य में लगी कम्पनी/एजेंसी द्वारा गौण खनिज का अवैध उत्खन्न किये जाने,

3. श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने राजनांदगांव अंतर्गत कन्हारपुरी से पार्टीरोड का निर्माण कराये जाने,

4. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने माण्ड केनाल जिला जांजगीर-चांपा के रोडों की हालत अत्यंत खराब होने,

5. श्री चुरावन मंगेशकर, सदस्य ने बिलासपुर जिला अंतर्गत मुंगेली क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी में धांधली एवं अनियमितता होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

5. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृहमंत्री ने पुलिस विभाग से संबंधित मांग संख्या-3, गृह विभाग से संबंधित मांग संख्या-4, जेल विभाग से संबंधित मांग संख्या-5, श्रम विभाग से संबंधित मांग संख्या-18, संस्कृति विभाग से संबंधित मांग संख्या-26, पर्यटन विभाग से संबंधित मांग संख्या-37, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या 51 प्रस्तुत की.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

श्री नंदकुमार पटेल.

सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए

6. घोषणा

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी के सहयोग से विधानसभा परिसर के एलोपेथिक चिकित्सालय एवं समिति कक्ष क्रमांक-03 में चिकित्सा परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है. इस शिविर के अंतर्गत दिनांक 08 जून, 2004 से 11 जून, 2004 एवं दिनांक 15 जून, 2004 से दिनांक 18 जून, 2004 तक प्रतिदिन प्रात: 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक हृदय रोग, नेत्र रोग, दंत रोग, स्त्री रोग, अस्थि रोग, नाक, कान, गला, संबंधी रोगों के विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे.

समस्त सदस्यगण उपरोक्त चिकित्सा परीक्षण शिविर का सुविधानुसार अधिकाधिक लाभ प्राप्त करें.

7. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री विजय अग्रवाल.

(1.00 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

सर्वश्री ताम्रध्वज साहू, इंदर चोपड़ा, धर्मजीत सिंह, अघनसिंह ठाकुर.

सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए

कु. कामदा जोल्हे, श्री नोवेल कुमार वर्मा, श्रीमती रमशीला साहू, सर्वश्री देवव्रत सिंह, संजीव शाह, उदय मुदलियार, देवजी पटेल, राजेन्द्र पामभोई.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय गृह मंत्री के विभागों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

श्री प्रीतमसिंह दीवान, श्री गुलाब सिंह, डॉ. सुभाऊ कश्यप, सर्वश्री अमरजीत भगत, चंदूलाल साहू, भूपेश बघेल, दयालदास बघेल, सत्यनारायण शर्मा, देवलाल दुग्गा, रविन्द्र चौबे.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृहमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

रात्रि 8.29 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 9 जून, 2004 (ज्येष्ठ 19, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 9 जून, 2004

(ज्येष्ठ 19, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 11 तारांकित प्रश्नों तथा 19 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल की समाप्ति पर नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य सर्वश्री धर्मजीत सिंह, सत्यनारायण शर्मा, ने प्रदेश में संवैधानिक रूप से निर्वाचित संस्थाओं को सरकार द्वारा भंग किये जाने के संबंध में प्रतिपक्ष द्वारा दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा की मांग की गई.

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि इस पर शासन से जानकारी मांगी गई है. इसको किसी न किसी रूप में ले लिया जायेगा.

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने यह कहते हुए सदन से बहिर्गमन किया कि आसंदी से न्यायोचित व्यवस्था न मिलने के विरोध में प्रतिपक्ष सदन से बहिर्गमन करता है.

माननीय अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष के इस कथन के तत्काल पश्चात् सदन को सूचित किया कि :-

''उन्हें सदन को अवगत कराने के लिए मजबूर होकर यह कहना पड़ रहा है कि माननीय सदस्य भी यदि अपनी सूचना पढ़ ले तो एक भी विशिष्ट मामला उन्होंने सूचना में नहीं दिया है. यदि शासन से जवाब लिया जाए तो किन तथ्यों पर ? जो बात मौखिक कही जा रही है वह सूचना में नहीं है फिर भी मैंने शासन से पूछा है.''

2. ध्यानाकर्षण

1. श्री महेन्द्र कर्मा, कु. कामदा जोल्हे, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने रेल्वे स्टेशन रायपुर में अबोध बालिकाओं के साथ बलात्कार होने के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने बालोद में तहसीलदार द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डभरा में स्टाफ की कमी होने,

2. श्री योगेश्वर राज सिंह, सदस्य ने कबीरधाम जिला अंतर्गत जिला पुलिस बल की संख्या में वृद्धि करने एवं थानों में पद स्वीकृत किये जाने,

3. श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने विकासखण्ड बोड़ला के ग्राम नवागांव में ग्रामीणों को ओलावृष्टि का मुआवजा न मिलने,

4. श्री लाल साय खुंटे, सदस्य ने बलौदा बाजार अपेक्स राइस मिल मालिक द्वारा मजदूरों के साथ धोखाधड़ी किये जाने,

5. श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य ने दुर्ग जिलांतर्गत बोरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सुविधाओं का अभाव होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 49 कसडोल के सदस्य श्री राजकमल सिंघानियां, की ओर से विधान सभा नियमावली के नियम 277 (1) के अधीन आवेदन प्राप्त हुआ है. उन्होंने मई-जून 2004 सत्र में दिनांक 2-6-2004 से दिनांक 11-6-2004 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है.

उनका निवेदन इस प्रकार है :-

मैं शारीरिक अस्वस्थता (आंख का आपरेशन) होने के कारण वर्तमान विधान सभा सत्र में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं. चिकित्सक से परामर्श कर मैं अपने निश्चित स्वास्थ्य सुधार की जानकारी देकर उपस्थित हो पाऊंगा. कृपया मुझे दिनांक 2-6-2004 से दिनांक 11-6-2004 तक अवकाश स्वीकृत करने का कष्ट करेंगे.

माननीय अध्यक्ष ने इस संबंध में सदन की अनुज्ञा चाही कि क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-49 कसडोल के सदस्य श्री राजकमल सिंघानिया को मई-जून 2004 सत्र में दिनांक 2-6-2004 से दिनांक 11-6-2004 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाय.

अनुज्ञा प्रदान की गई.

5. घोषणा

1. माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सदस्य श्री देवलाल दुग्गा ने कांकेर के सत्कार अधिकारी के विरुद्ध एक सूचना दिनांक 1 जून,2004 को दी थी.

उक्त सूचना को उन्होंने जांच व अनुशंसा हेतु सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति को सौंप दिया है.

2. माननीय अध्यक्ष ने सदन को यह भी सूचित किया कि मान. सदस्यों को आय-व्ययक से संबंधित जानकारी देने के लिये कल की भांति आज भी अपरान्ह 1.00 बजे से 2.30 बजे तक समिति कक्ष क्रमांक-02 में प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है.

तत्पश्चात् माननीय कृषि मंत्री श्री ननकी राम कंवर की ओर से सदस्य लाबी में दोपहर भोज का आयोजन भी किया गया है.

समस्त मान. सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रबोधन कार्यक्रम एवं भोज में आवश्यक रूप से सम्मिलित होने का कष्ट करें.

6. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने कृषि विभाग से संबंधित मांग संख्या-13, पशुपालन विभाग से संबंधित मांग संख्या-14, मछलीपालन से संबंधित मांग संख्या-16, सहकारिता से संबंधित मांग संख्या-17, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित मांग संख्या-54, पशुपालन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या-71, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित मांग संख्या-29 प्रस्तुत की.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

डॉ. शक्राजीत नायक.

सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए

(1.00 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए

सर्वश्री छतराम देवांगन, धर्मजीत सिंह.

सभापति महोदय (श्री अघनसिंह ठाकुर) पीठासीन हुए

सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, इंदर चौपड़ा.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

सर्वश्री बालमुकुन्द देवांगन, राजेन्द्र पामभोई, सुश्री लता उसेंडी, श्री उदय मुदलियार.

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय कृषि मंत्री के विभाग की मांगों पर चर्चा पूर्ण होने तथा मतदान होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

सर्वश्री अघनसिंह ठाकुर, भूपेश बघेल, संजय ढीढी, ताम्रध्वज साहू, कु. पिंकी ध्रुव, श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री देवलाल दुग्गा, श्री कवासी लखमा.

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

रात्रि 7.47 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 10 जून, 2004 (ज्येष्ठ 20, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

गुरुवार, दिनांक 10 जून, 2004

(ज्येष्ठ 20, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 प्रश्नों में से 07 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 03 तारांकित प्रश्नों एवं 13 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल समाप्त होते ही नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा ने नक्सली वारदातों की जानकारी पुलिस द्वारा प्रेस को न दिये जाने संबंधी सरकार द्वारा जारी निर्देश के संबंध में प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा की मांग की .

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि इस विषय में ध्यानाकर्षण की सूचना ग्राह्य की जा चुकी है और कल उस पर चर्चा करायी जाएगी और चर्चा के समय माननीय सदस्यों और सरकार को इस विषय में जो कुछ भी कहना होगा, कहने का अवसर मिलेगा.

(नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा, के नेतृत्व में प्रतिपक्षी सदस्यों ने सरकार द्वारा तत्काल इस विषय में चर्चा न कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया)

2. घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों से राष्ट्रकुल संसदीय संघ/भारतीय संसदीय संघ की सदस्यता ग्रहण किए जाने तथा निर्धारित सदस्यता शुल्क रुपये एक हजार सचिवालय में जमा कराए जाने हेतु पत्रक भाग-दो क्रमांक-14, दिनांक 19-2-2004 तथा पत्र दिनांक 13-05-04 द्वारा अनुरोध किया गया है.

विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की संसदीय गतिविधियों से जुड़े रहने की दृष्टि से सदस्यता लेना आवश्यक है.

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया निर्धारित सदस्यता प्रपत्र भरकर सदस्यता शुल्क शीघ्र जमा कराने का कष्ट करें.

3. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री भरत साय, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 11 जून, 2004 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित आशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये उनके समक्ष अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय
1. (क्रमांक-2)	श्री धर्मजीत सिंह	1 घंटा
2. (क्रमांक-10)	श्री रविन्द्र चौबे	45 मिनट
3. (क्रमांक-15)	डॉ. हरिदास भारद्वाज	45 मिनट

श्री भरत साय, सभापति ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

4. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, भूपेश बघेल, सदस्य ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के फर्जी नाम से बी. एस. ओ. से लोहा खरीदी किये जाने के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री पूनम चन्द्राकर, राज्यमंत्री (मुख्यमंत्री से सम्बद्ध) ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने हसदेव बांगो परियोजना के टर्न की पद्धति में ठेका दिये जाने में अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य ने खैरागढ़ लोक निर्माण संभाग के अतरिया-दतिया मार्ग का निर्माण कार्य विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से अधूरा छोड़े जाने,

2. श्री योगेश्वर राज सिंह, सदस्य ने इंदिरा खेत गंगा योजना के तहत् किसानों की कृषि भूमि में सिंचाई नलकूप खनन हेतु अनुदान राशि में अनियमितता किये जाने,

3. श्री लालसाय खुंटे, सदस्य ने बलौदा बाजार के ग्राम खान में नया खदान लगाये जाने पर ग्रामीणों द्वारा विरोध किये जाने,

4. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सड़क जर्जर होने,

5. श्री संजीव शाह, सदस्य ने अम्बागढ़ चौकी अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में विद्यार्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त न होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

6. सदन के समय में वृद्धि की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आय-व्ययक से संबंधित अभी तक केवल 3 माननीय मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण हो पाई है. 12 माननीय मंत्रियों के विभागों की मांगों पर चर्चा होना शेष है. हमारे पास मांगों पर चर्चा हेतु मात्र 6 दिन उपलब्ध है, इन 6 दिनों में सभी विभागों की मांगों पर चर्चा पूर्ण कराई जाना संभव नहीं हो सकेगा.

अत: सभी विभागों की मांगों पर चर्चा पूर्ण हो सके, इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि सदन के समय में वृद्धि की जाए. इस हेतु आज से दिनांक 21 जून, 2004 तक भोजनावकाश को समाप्त कर सदन की बैठकें रखी जाए.

इस सम्बन्ध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

7. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

1. श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने वित्त विभाग से संबंधित मांग संख्या-6, वाणिज्यिक कर विभाग सें संबंधित मांग संख्या-7, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित मांग संख्या-31, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित मांग संख्या-50, जिला परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-60, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय से संबंधित मांग संख्या-22, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित मांग संख्या-69, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-81, प्रस्तुत की.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, श्री अघन सिंह ठाकुर,

सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए

सर्वश्री भूपेश बघेल, इंदर चोपड़ा.

सभापति महोदय (श्री अघनसिंह ठाकुर) पीठासीन हुए

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, नोवेल कुमार वर्मा, देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, छतराम देवांगन, उदय मुदलियार, बालमुकुन्द देवांगन,

अमरजीत भगत, कमलभान सिह, विनोद खांडेकर.

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

2. श्री रामविचार नेताम, आदिमजाति कल्याण मंत्री ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-15, आदिमजाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या-33, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित मांग संख्या-41, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़क और पुल से संबंधित मांग संख्या-42, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या-49, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-53, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मांग संख्या-64, पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित मांग संख्या-66, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या-68, बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या-77, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-82, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-83, भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित मांग संख्या-8, राजस्व विभाग से संबंधित मांग संख्या-9, पुनर्वास से संबंधित मांग संख्या-35, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय से संबंधित मांग संख्या-58, प्रस्तुत की.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

सायं 5.13 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 11 जून, 2004 (ज्येष्ठ 21, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

शुक्रवार, दिनांक 11 जून, 2004

(ज्येष्ठ 21, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 22 तारांकित प्रश्नों में से 08 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में 11 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 14 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रकिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा. लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी. संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

1. सर्वश्री नंदकुमार पटेल, महेन्द्र कर्मा, रविन्द्र चौबे, सदस्य ने दक्षिण बस्तर में नक्सली गतिविधियों में वृद्धि तथा शासन द्वारा नक्सली घटनाओं की खबरों से संबंधित परिपत्र जारी करने के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

1. माननीय अध्यक्ष ने कार्यसूची में दर्ज ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक-1 पर माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का उत्तर सुनने के पश्चात् निम्नानुसार व्यवस्था दी:-

''मैंने नक्सली घटनाओं में शहीद/घायल पुलिस कर्मियों के भयावह दर्दनाक फोटो समाचार प्रकाशित नहीं करने संबंधी परिपत्र एवं

माननीय गृह मंत्री जी का उत्तर व सभा में सदस्यों द्वारा परिपत्र के कारण उत्पन्न स्थिति पर उनके विचारों को गंभीरतापूर्वक सुना.

मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा व्यक्त भावनाओं का सम्मान करता हूँ जिसमें उन्होने यह व्यक्त किया कि शासन की मंशा प्रेस की आजादी को किसी भी प्रकार से किंचित भी प्रभावित करने अथवा नक्सली घटनाओं के समाचारों को छपने से प्रतिबन्धित करने की नहीं है वरन् पुलिस एवं जनता का मनोबल बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्यवाही की जाना बताया है और मूल उद्देश्य नक्सलियों को महिमा मंडित करने से रोकना व विकास कार्यों को गति देना है. यह भी ठीक है कि परिपत्र प्रेस काऊंसिल के दिशा-निर्देशों के अनुकूल है.

शासन की पूर्ण सद्भावना के बावजूद इस परिपत्र से भ्रम की स्थिति निर्मित होने की सम्भावना से पूर्णतया इंकार नहीं किया जा सकता इस लिए शासन यह सुनिश्चित करे कि इस परिपत्र का दुरुपयोग न किया जाय, आवश्यक हो तो संशोधित परिपत्र जारी करे और यदि आवश्यक एहतियात के बाद भी भ्रम की स्थिति बनती है तो शासन परिपत्र को वापस लेने में भी संकोच न करे.

4. ध्यानाकर्षण

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने कांकेर वन मंडल में तेंदूपत्ता संग्रहण में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गणेश राम भगत, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. श्री नन्द कुमार पटेल, सदस्य ने अम्बिकापुर बनारस मार्ग पर सशस्त्र लुटरों के द्वारा बसें लूटे जाने के संबंध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य ने धमधा-पथरिया मार्ग के समीप पत्थर खदानों में ब्लास्टिंग होने से गंभीर दुर्घटना घटित होने के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री पूनम चन्द्राकर, राज्य मंत्री (मुख्यमंत्री से सम्बद्ध) ने इस पर वक्तव्य दिया.

पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं तथा वक्तव्य

5. श्री नन्द कुमार पटेल, सदस्य की राजधानी रायपुर में हत्या, चोरी एवं लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

6. सर्वश्री नन्द कुमार पटेल, भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा, सदस्य की शिक्षा विभाग में संविदा शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

7. श्री नन्द कुमार पटेल, सदस्य की प्रदेश में टोल टैक्स की अवैध वसूली होने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

8. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य की मृत शासकीय सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति न मिलने संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य.

9. सर्वश्री नन्द कुमार पटेल, भूपेश बघेल, सदस्य की प्रदेश में यात्री बसें बन्द होने से यात्रियों को परेशानी होने संबंधी सूचना तथा परिवहन मंत्री का वक्तव्य.

10. श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य की जिला संचालक, आदिमजाति कल्याण विभाग, महासमुन्द द्वारा आदिवासी छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि का दुरुपयोग किये जाने संबंधी सूचना तथा आदिमजाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

11. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य की बस्तर में संग्राहकों द्वारा साल बीज का कम दरों पर विक्रय किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

12. श्री नन्द कुमार पटेल, सदस्य की पुरानी सिंचाई योजनाओं की क्षमता में वृद्धि के लिये एशियन बैंक से बिना कार्य योजना बनाये कर्ज लेने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

13. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य की अशासकीय महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन का भुगतान न किये जाने संबंधी सूचना तथा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

14. श्री भूपेश बघेल सदस्य, की निजी बस मालिकों द्वारा लाखों रुपयों का टोल टैक्स चोरी किये जाने संबंधी सूचना तथा परिवहन मंत्री का वक्तव्य.

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क के अंतर्गत आज दिनांक 11-6-2004 को सात सूचनाओं को लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है.

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में हुई मानी जाएंगी तथा उन्हें उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजा जाएगा.

1. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य की जांजगीर-चांपा जिले में विद्युत अव्यवस्था होने संबंधी सूचना,

2. श्री देवजी पटेल, सदस्य की राज्य शासन की सेवाओं में विभिन्न पदों पर भर्ती की आयु सीमा में छूट दिये जाने संबंधी सूचना,

3. श्री चैतराम साहू, सदस्य की बलौदा बाजार में शासकीय जमीन पर अवैध रूप से उत्खनन कार्य किये जाने संबंधी सूचना,

4. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य की बस्तर स्थित कोसारटेड मध्य जल संसाधन योजना में अधिकारियों द्वारा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार करने संबंधी सूचना,

5. श्री कवासी लखमा, सदस्य की कोंटा क्षेत्र अंतर्गत कई ग्रामों में विद्युत खम्भों में तार नहीं लगाने संबंधी सूचना,

6. श्री संजीव शाह, सदस्य की राजनांदगांव जिले के ग्राम चापाटोला के सरपंच और पटेल के परिवारों के साथ मानवाधिकार का हनन किये जाने संबंधी सूचना,

7. श्री रामपुकार सिंह, सदस्य की जशपुर जिले के पत्थलगांव में इंदिरा गांधी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शासन द्वारा आवंटित भूमि को निजी संस्था द्वारा कब्जा किये जाने संबंधी सूचना.

6. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

1. श्री रामविचार नेताम, आदिमजाति कल्याण मंत्री के विभाग की मांगों पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री भूपेश बघेल.

सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए

सर्वश्री अघनसिंह ठाकुर, कवासी लखमा, इंदर चोपड़ा, धर्मजीत सिंह. (चर्चा अपूर्ण)

7. अशासकीय संकल्प

1. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि ''यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर रेल्वे जोन के अंतर्गत रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्ड की स्थापना कर भर्ती शीघ्र प्रारंभ की जाये ताकि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवकों को रेल्वे विभाग में रोजगार प्राप्त हो सके''. तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

सदस्य सर्वश्री विजय अग्रवाल, रविन्द्र चौबे, इंदर चोपड़ा, देवव्रत सिंह, देवजी पटेल, ताम्रध्वज साहू ने चर्चा में भाग लिया.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प पर मत लिया गया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

2. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि सदन का यह मत है कि ''छत्तीसगढ़ में समग्र-जल संग्रहण एवं संरक्षण कार्य योजना क्रियान्वित कर संचित जल के उपयोग को ही ऊर्जा, उद्योग, सिंचाई, वन, कृषि एवं पेयजल के विकास का आधार बनाया जाए''. तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सदस्य श्री इंदर चोपड़ा, डॉ. चेतन वर्मा, सर्वश्री अघनसिंह ठाकुर, ओंकार शाह, विजय अग्रवाल, देवव्रत सिंह, देवलाल दुग्गा, गणेश शंकर बाजपेयी.

श्री हेमचन्द यादव, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प पर मत लिया गया.

संकल्प अस्वीकृत हुआ.

3. डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि सदन का यह मत है कि ''नगर पंचायत एवं नगर पालिका क्षेत्र में जमीनों की रजिस्ट्री शुल्क 50 डेसिमल तक आवासीय प्लाट दर से लगता है, उसे घटाकर 10 डेसिमल तक किया जाए''. तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सदस्य सर्वश्री इंदरचोपड़ा, देवव्रत सिंह, देवजी पटेल, ने चर्चा में भाग लिया.

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से संकल्प पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प पर मत लिया गया.

संकल्प अस्वीकृत हुआ.

सायं 5.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 14 जून, 2004 (ज्येष्ठ 24, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

सोमवार, दिनांक 14 जून, 2004

(ज्येष्ठ 24, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 17 तथा द्वितीय चक्र में 01 कुल 18 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 11 तारांकित प्रश्नों तथा 18 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिए 14 जून, 2004 को विधायक विश्राम गृह अयोध्या अपार्टमेन्ट में ध्यान एवं योग का शिविर प्रारंभ किया गया है. मुझे जानकारी मिली है कि सदस्यों की संख्या बहुत कम है, संभवत: यह अवकाश के प्रथम कार्य दिवस होने के कारण है. ध्यान एवं योग अति उपयोगी है.

अत: आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में कल प्रात: 8.00 बजे से इस शिविर में सम्मिलित होकर इसका लाभ उठाये. सदस्यों की रूचि को देखते हुए इस शिविर को बढ़ाया भी जा सकेगा.

3. ध्यानाकर्षण

1. डॉ. चेतन वर्मा, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र बेमेतरा के मंजरा टोला आदि में विद्युत सुविधाओं के अभाव होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

   श्री पूनम चन्द्राकर, राज्य मंत्री (मुख्यमंत्री से सम्बद्ध) ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री अमरजीत भगत, सदस्य की जिला सरगुजा के सूरजपुर वन परिक्षेत्र में वृक्षों की अवैध कटाई किये जाने संबंधी सूचना प्रस्तुतकर्ता सदस्य के अनुपस्थित रहने से प्रस्तुत नहीं हुई

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत छात्रावास भवन निर्माण का ठेका बिना निविदा दिये जाने,

2. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य ने खैरागढ़ अनुविभाग में खाद्य निरीक्षक एवं निजी राशन दुकान धारकों के साथ मिलीभगत कर राशन सामग्री बाजार में व्यापारियों को बेचे जाने,

3. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने विकासखण्ड लोरमी में जल संसाधन विभाग द्वारा भूमि डूब में आने वाले ग्रामीणों को उचित सहायता न देने,

4. श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य ने मलेरिया विभाग में हेचरी निर्माण के नाम पर विभाग द्वारा फर्जी बिलों के माध्यम से लाखों रुपये की हेराफेरी होने,

5. श्री देवजी पटेल, सदस्य ने वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन स्थल पर आवागमन में अवरोध उत्पन्न होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

1. डॉ. चेतन वर्मा, सदस्य ने दुर्ग जिले के-

   1. ग्राम जेवरी एवं बहिगा जिला-दुर्ग के अंतर्गत जेवरी बहिगा के मध्य करूहा नाला के टूटे पुल का पुनः निर्माण करने,
   2. विज्ञान एवं कला महाविद्यालय बेमेतरा जिला दुर्ग में अतिरिक्त भवन निर्माण करने,
   3. ग्राम सिरवा बांधा से बेमेतरा पहुंच मार्ग का निर्माण कराने तथा,

2. श्री संजीव शाह, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के-

   ग्राम अरजकुंड विकासखण्ड अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव में हाईस्कूल खोलने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत की.

6. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

1. श्री रामविचार नेताम, आदिमजाति कल्याण मंत्री के विभाग की मांगो पर पुनग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

   श्री धर्मजीत सिंह.

सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए

श्री नोवेल कुमार वर्मा, श्री लच्छूराम कश्यप, डॉ. हरिदास भारद्वाज, कु. कामदा जोल्हे, श्री उदय मुदलियार, श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम, डॉ. शिवकुमार डहरिया, श्री सियाराम कौशिक.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

7. वक्तव्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने दिनांक 2 जून, 2004 को प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित ता. प्र. संख्या-1 (क्रमांक-469) पर चर्चा के दौरान आसंदी के इस निर्देश कि वर्ष 2003-2004 में धान संग्रहण हेतु खरीदी के संबंध में पूरी स्थिति से सदन को अवगत कराया जाए, के संबंध में वक्तव्य दिया.

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की.

8. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, ओंकार शाह.

श्री रामविचार नेताम, आदिमजाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

2. श्री गणेशराम भगत, वन मंत्री ने वन से संबंधित मांग संख्या-10 एवं आवास एवं पर्यावरण से संबंधित मांग संख्या-21 प्रस्तुत की.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

श्री धर्मजीत सिंह.

सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए

सर्वश्री बद्रीधर दीवान, ओंकार शाह, अघनसिंह ठाकुर, सत्यनारायण शर्मा, देवलाल दुग्गा, कवासी लखमा, इंदर चोपड़ा, राजेन्द्र पामभोई.

सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए

सर्वश्री देवजी पटेल, गणेश शंकर बाजपेयी.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

श्री लचछूराम कश्यप.

9. घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा परिसर में, माननीय सदस्यों के सुविधार्थ, आयोजित चिकित्सीय परीक्षण शिविर के संबंध में पूर्व घोषित समस्त चिकित्सकों/विशेषज्ञों के अलावा, दिनांक 15 जून से 18 जून, 2004 तक विधान सभा परिसर स्थित ऐलोपेथिक चिकित्सालय में आहार सलाहकार डॉ. श्रीमती जयराम अय्यर, आहार विशेषज्ञ, सुश्री आंकक्षा झा, एवं इन्डों क्राइलोनाजिस्ट, डॉ. मनोज कुमार, भी उपस्थित रहेंगे, तथा दिनांक 15 जून, 2004 से 18 जून, 2004 तक एस्कार्ट हार्ट कमान्ड सेन्टर, रायपुर में हृदय रोग परीक्षण भी किया जावेगा.

समस्त माननीय सदस्य, उक्त विशेषज्ञों/परीक्षण का लाभ अवश्य लेवें.

10. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री गणेशराम भगत, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय वन मंत्री का उत्तर पूर्ण होने तथा मांगों पर मतदान होने तक एवं खाद्य विभाग की मांगें प्रस्तुत होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

3. श्री मेघाराम साहू, खाद्य मंत्री ने खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित मांग संख्या-39 प्रस्तुत की.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

सायं 5.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 15 जून, 2004 (ज्येष्ठ 25, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

मंगलवार, दिनांक 15 जून, 2004

(ज्येष्ठ 25, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 20 प्रश्न तथा द्वितीय चक्र में 01 प्रश्न कुल 21 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 15 तारांकित तथा 22 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री मो. अकबर, उदय मुदलियार, धर्मजीत सिंह सदस्य ने कबीरधाम जिले की सुतियापाट मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण में भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

   श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य ने राजनांदगांव जिला अंतर्गत मोहला ब्लाक में सड़क निर्माण कार्य में गिट्टी, मुरम का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

   श्री पूनम चंद्राकर, राज्यमंत्री (मुख्यमंत्री से सम्बद्ध) ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने नगर पंचायत, पंडरिया में विद्युत अव्यवस्था होने,

2. श्री देवजी पटेल, सदस्य ने सिलतरा से मुरेढ़ी-दुर्ग रोड का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण किये जाने,

3. श्री ओंकार शाह, सदस्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी लायसेंस का नवीनीकरण नहीं किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

4. घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आरोग्यम् प्राकृतिक एवं योगोपचार संस्थान, नगपुरा जिला-दुर्ग के तत्वावधान में आज विधान सभा के लाबी स्थित कक्ष में ''प्राकृतिक आहार'' (दोपहर भोज) का आयोजन भोजन अवकाश में दोपहर 1.30 बजे किया गया है.

समस्त माननीय सदस्यों के साथ प्रेस/मीडिया के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए हैं.

5. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

1. श्री मेधाराम साहू, खाद्य मंत्री के विभाग की मांगों पर पुनग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री मोहम्मद अकबर, अघनसिंह ठाकुर.

सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, देवलाल दुग्गा, मंहत रामसुन्दर दास.

(1.30 बजे से 3.30 बजे तक अंतराल)

सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए

सर्वश्री छतराम देवांगन, अमरजीत भगत, कु. कामदा जोल्हे, सर्वश्री दयालदास बघेल, नोवेल कुमार वर्मा, उदय मुदलियार, बालमुकुंद देवांगन, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री ओम प्रकाश राठिया, श्री कवासी लखमा.

श्री मेघाराम साहू, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

सायं 5.28 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 16 जून, 2004 (ज्येष्ठ 26, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 16 जून, 2004

(ज्येष्ठ 26, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

[ता. प्र. सं.-8 (क्रमांक-711) स्वप्रेरणा के तहत् पंजीयक छ.ग. सहकारिता विभाग को सुनवाई हेतु मार्गदर्शन संबंधी प्रकरण पर चर्चा के दौरान प्रतिपक्षी सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.]

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 21 तारांकित तथा 33 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

1. श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य ने बस्तर वन वृत्त में वृक्षारोपण में भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

   श्री गणेशराम भगत, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने लोक निर्माण संभाग चांपा में सड़कों के निर्माण में अनियमितता किए जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

   श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम 267-''क'' के अंतर्गत विषय

1. श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले के सोनसरी-अमोरा नहर नाली चौड़ीकरण किये जाने,

2. कु. पिंकी ध्रुव, सदस्य ने नगरी ब्लाक जिला धमतरी में बंदोबस्त की त्रुटियां किये जाने,

3. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने ग्राम पंचायत करगी-कला के सरपंच द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने,

4. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने राज्य शासन के अधिकारियों एवं अन्य लोगों की मिली भगत से लघु एवं कुटीर उद्योगों पर भारी संकट होने,

5. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने कबीर धाम जिले में विद्युत आपूर्ति न होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

1. श्री संजीव शाह, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के :-

   1. चौकी विधान सभा क्षेत्र, के चौकी विकासखण्ड, जिला-राजनांदगांव के ग्राम कोड़ीकसा के लघु स्वास्थ्य केन्द्र को उन्नयन करनें,

   2. चौकी विधान सभा क्षेत्र, जिला राजनांदगांव के मानपुर विकासखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उन्नयन कर 30 बिस्तर निर्माण करने,

   3. चौकी विधान सभा क्षेत्र, जिला राजनांदगांव के मोहला विकासखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कर 30 बिस्तर निर्माण करने,

2. श्रीमती रमशीला साहू, सदस्य ने दुर्ग जिले के :-

   1. गुंडरदेही विधान सभा क्षेत्र, जिला दुर्ग में अर्जुन्दा सिकोसा मार्ग पर तान्दुला नदी पर पुल निर्माण करने,

   2. गुण्डरदेही तहसील, जिला-दुर्ग के परसतराई में सहकारी समिति मर्यादित केन्द्र खोलने तथा,

   3. विकासखण्ड गुण्डरदेही, जिला दुर्ग में ग्राम पंचायत मुख्यालय परसाही में उप-स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण एवं परसाही से तिलोदा मुख्य मार्ग के बीच नाले में पुल निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत की.

5. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

1. श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या-23, आयाकट विभाग से संबंधित मांग संख्या-40, खेल एवं युवक कल्याण से संबंधित मांग संख्या-43, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या-45 जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या-57, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या-75 प्रस्तुत की.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हुए.

मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

सभापति महोदय (श्री शिवप्रताप सिंह) पीठासीन हुए

डॉ. शक्राजीत नायक, श्री संजीव शाह, डॉ. रामचंद्र सिंह देव, डॉ. बालमुकुन्द देवांगन, सर्वश्री रविन्द्र चौबे, इंदर चोपड़ा, रामसेवक पैकरा, धनेंद्र साहू, छतराम देवांगन, अमरजीत भगत, नोवेल कुमार वर्मा.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

डॉ. सुभाऊ कश्यप, सर्वश्री गणेश शंकर, बाजपेयी, प्रीतम साहू, धर्मजीत सिंह, देवलाल दुग्गा, उदय मुदलियार, भूपेश बघेल, कवासी लखमा.

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

2. श्री विक्रम उसेंडी, शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा से संबंधित मांग संख्या-27, उच्च शिक्षा से संबंधित मांग संख्या-44, विज्ञान एवं टेक्नालॉजी से संबंधित मांग संख्या-46, तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित मांग संख्या 47 प्रस्तुत की.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, विनोद खांडेकर, रविन्द्र चौबे, लच्छूराम कश्यप.

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से माननीय शिक्षा मंत्री के विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण होने तथा मतदान पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

श्री ताम्रध्वज साहू, श्री संजय ढ़ीढ़ी, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री अघन सिंह ठाकुर, श्री उदय मुदलियार.

सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए

सर्वश्री इंदर चोपड़ा, महंत रामसुन्दर दास, कमलभान सिंह, छतराम देवांगन.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

सर्वश्री देवजी पटेल, लालसाय खुंटे, डॉ. शिवकुमार डहरिया, सर्वश्री बालमुकुन्द देवांगन, गणेश शंकर बाजपेयी, ओम प्रकाश राठिया.

श्री विक्रम उसेंडी, शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

सायं 7.34 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 17 जून, 2004 (ज्येष्ठ 27, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

गुरुवार, दिनांक 17 जून, 2004

(ज्येष्ठ 27, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 09 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 15 तारांकित प्रश्नों तथा 17 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री विजयनाथ सिंह, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकंल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 18 जून, 2004 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये उनके समक्ष अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय
1. (क्रमांक-1)	श्री धर्मजीत सिंह	50 मिनट
2. (क्रमांक-18)	श्री बालमुकुन्द देवांगन	50 मिनट
3. (क्रमांक-19)	डॉ. चेतन वर्मा	50 मिनट

श्री विजय नाथ सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

3. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, नन्द कुमार पटेल, अमरजीत भगत सदस्य ने रायपुर जिले के विकास खण्ड धरसींवा के ग्राम मुरैठी में स्थापित इंटकवेल से उद्योगों को अवैध रूप से पानी की सप्लाई होने की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रजिन्दर पाल सिंह भाटिया, राज्यमंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग) ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री चन्द्रभान बारमते, सदस्य ने तहसीलदार मुंगेली के द्वारा शासकीय भूमि के रिकार्ड में हेरा-फेरी किये जाने के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. नियम 267-''क'' के अंतर्गत विषय

1. श्री गुलाब सिंह, सदस्य ने खड़गंवा एवं मनेन्द्रगढ़ के किसानों को शूकर पालन हेतु स्वीकृत ऋण को मकान बनवाने के लिये दिये जाने,

2. श्री संजीव शाह, सदस्य ने मोहला विकासखण्ड के माधोपुर पारा बोईरडीह में स्थानीय आदिवासियों को आवंटित भूमि का स्वामित्व प्राप्त न होने,

3. कु. पिंकी ध्रुव, सदस्य ने धमतरी जिले के नगरी एवं मगरलोड ब्लाक के 100 ग्रामों के लिए ग्रामीण विकास विभाग की विशेष योजना में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

1. श्री चन्दूलाल साहू, सदस्य ने रायपुर जिले के :-

(क) राजिम विधान सभा क्षेत्र जिला रायपुर के छुरा विकासखण्ड ग्राम मुड़ागांव से रानीपरतेवा छुरा सड़क मार्ग सुखा नदी में पुल निर्माण करने,

(ख) राजिम विधान सभा क्षेत्र जिला-रायपुर के अंतर्गत तहसील मुख्यालय राजिम में व्यवहार न्यायालय तथा गरियाबंद में अतिरिक्त सत्र व्यवहार न्यायालय की स्थापना करने,

(ग) राजिम विधान सभा क्षेत्र जिला-रायपुर के ग्राम छुरा विकासखण्ड में महाविद्यालय खोलने तथा,

2. श्री दवेजी भाई पटेल, सदस्य ने रायपुर जिले के :-

नगर निगम रायपुर द्वारा गायत्री नगर के पास प्रस्तावित वाल्मिक अम्बेडकर आवास योजना को अन्यत्र स्थानांतरित करने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत की.

6. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

1. श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या-24, लोक निर्माण कार्य भवन से संबंधित मांग संख्या-67, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या-76 प्रस्तुत की.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए

सर्वश्री देवव्रत सिंह, देवलाल दुग्गा, धर्मजीत सिंह, इंदर चोपड़ा, राजेन्द्र पामभोई, विजय अग्रवाल, उदय मुदलियार, अघनसिंह ठाकुर, डॉ. शिवकुमार डहरिया, महंत रामसुंदर दास, लाल महेन्द्र सिंह टेकाम, सर्वश्री अमरजीत भगत, लच्छूराम कश्यप, सियाराम कौशिक, देवजी भाई पटेल, चन्द्रभान बारमते, ताम्रध्वज साहू, गणेश शंकर बाजपेयी, ओंकार शाह, प्रीतम साहू, धनेन्द्र साहू, लालसाय खुंटे, कवासी लखमा, नोवेल कुमार वर्मा.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

श्री चंदूलाल साहू, डॉ. बालमुकुंद देवांगन, श्री प्रीतम सिंह दीवान, रामसेवक पैकरा, कु. पिंकी ध्रुव.

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

2. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, स्वास्थ्य ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांग संख्या-19, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या-61, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मांग संख्या-79 प्रस्तुत की.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

डॉ. चेतन वर्मा.

सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए

डॉ. बालमुकुंद देवागंन, श्री नंदकुमार पटेल, डॉ. सुभाऊ कश्यप, श्री महेन्द्र कर्मा, श्री इंदर चोपड़ा.

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक-4 के उप पद-3 में उल्लेखित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के विभाग की मांगों पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, लच्छूराम कश्यप, ताम्रध्वज साहू.

सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए

श्री अघनसिंह ठाकुर, डॉ. हरिदास भारद्वाज.

सभापति महोदय (श्री अघनसिंह ठाकुर) पीठासीन हुए

श्री देवलाल दुग्गा, श्री राजेंद्र पामभोई.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

डॉ. शिवकुमार डहरिया, श्री देवजी पटेल, श्री गणेश शंकर वाजपेयी.

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, स्वास्थ्य ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

7. घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा परिसर में माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए 8 जून से स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित चिकित्सीय परीक्षण शिविर का 57 माननीय सदस्यों ने लाभ लिया है. कल 18 जून को शिविर का समापन है अत: सदस्यों

से अनुरोध है कि वे कल 18 जून को इस शिविर का लाभ लें.

8. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

3. श्री रजिन्दर पाल सिंह भाटिया, राज्यमंत्री, परिवहन ने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित मांग संख्या-11, ग्रामोद्योग से संबंधित मांग संख्या-56, ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या-78, परिवहन से संबंधित मांग संख्या-36 प्रस्तुत की.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री देवव्रत सिंह, श्री इंदर चोपड़ा, डॉ. शिवकुमार डहरिया, डॉ. बालमुकुन्द देवागंन, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री चंदूलाल साहू, श्री राजेन्द्र पामभोई, श्री प्रीतम साहू.

श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, राज्यमंत्री, परिवहन ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

रात्रि 8.09 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 18 जून, 2004 (ज्येष्ठ 28, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

शुक्रवार, दिनांक 18 जून, 2004

(ज्येष्ठ 28, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 07 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 10 तारांकित तथा 20 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 14 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा. तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा. लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी. संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

1. सर्वश्री रविन्द्र चौबे, भूपेश बघेल, सदस्य ने भिलाई स्थित औद्योगिक इकाईयां बंद होने से श्रमिकों के बेरोजगार होने की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, राज्यमंत्री, उद्योग ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने प्रदेश में बांस चटाई की खरीदी में भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. श्री ओंकार शाह, सदस्य ने दंतेवाड़ा जिले में टिन खनिज की चोरी होने के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री पूनम चंद्राकर, राज्यमंत्री (मुख्यमंत्री से सम्बद्ध) ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. महंत रामसुन्दर दास, सदस्य ने संस्कृत महाविद्यालय रायपुर के जीर्ण-शीर्ण भवन का पुननिर्माण किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री राजेश मूणत, राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग ने इस पर वक्तव्य दिया.

पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं तथा पटल पर रखे गए वक्तव्य :-

5. डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य की केलो विहार शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.

6. श्री नन्द कुमार पटेल, सदस्य की राज्य सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य में सरकारी धान की ख़रीदी बंद किये जाने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य.

7. सर्वश्री धर्मजीत सिंह, डॉ. चेतन वर्मा, रविन्द्र चौबे, सदस्य की प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में आदिवासी बच्चों की मौत होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

8. श्री उदय मुदलियार, सदस्य राजनांदगांव में समर्थन मूल्य में खरीदे गये धान में अफरा-तफरी किये जाने संबंधी सूचना तथा मंत्री का वक्तव्य.

9. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य की बिलासपुर के चकरभाटा वर्कशाप में राज्य परिवहन निगम की बसें रख-रखाव के अभाव में खराब होने संबंधी सूचना तथा परिवहन मंत्री का वक्तव्य.

10. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य की जिला जांजगीर-चांपा के केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा कृषकों को धान खरीदी की राशि का भुगतान न किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.

11. डॉ. शिव कुमार डहरिया, सदस्य की सहकारिता विभाग के उप पंजीयक के साथ मारपीट किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने नगर निगम, कोरबा में अनियमितता किये जाने.

2. श्री गुलाब सिंह, सदस्य ने ग्रामीण रोजगार योजनांतर्गत खाद्यान्न भंडारण से ग्रामीणों को अनाज वितरण न किये जाने.

3. श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने राजनांदगांव के ग्राम भर्रेगांव-खैरा के बीच शिवनाथ नदी पर एनीकट निर्माण किये जाने.

4. श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने अकलतरा विकास खण्ड के ग्राम सोनसरी में नहर नाली को चौड़ा किये जाने.

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

4. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

श्री केदार कश्यप, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के विभाग की मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री भूपेश बघेल.

सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए

सर्वश्री अघनसिंह ठाकुर, धर्मजीत सिंह, श्रीमति रमशीला साहू, डॉ. शक्राजीत नायक, डॉ. सुभाऊ कश्यप, सर्वश्री उदय मुदलियार, त्रिलोचन पटेल, ओंकार शाह, कमलभान सिंह.

सदन के समय में वृद्धि की घोषणा

माननीय सभापति ने कार्यसूची के पद क्रमांक 3 के उप पद (1) एवं (2) में दर्ज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं समाज कल्याण विभाग की मांगों पर चर्चा पूर्ण होने तथा मतदान होने के उपरांत अशासकीय कार्य लिये जाने की घोषणा की तथा सदन की सहमति से इस हेतु सदन के समय में वृद्धि करने की भी घोषणा की.

5. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री चुरावन मंगेशकर.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

श्री केदार कश्यप, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

2. श्रीमती रेणुका सिंह, राज्यमंत्री, समाज कल्याण ने समाज कल्याण से संबंधित मांग संख्या 34, महिला एवं बाल विकास से संबंधित मांग संख्या 55 प्रस्तुत की.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, इंदर चोपड़ा, चुरावन मंगेशकर, श्रीमती रमशीला साहू.

श्री रेणुका सिंह, राज्यमंत्री, समाज कल्याण ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

6. अशासकीय संकल्प

1. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि सदन का यह मत है कि ''छत्तीसगढ़ शासन कार्य योजना बनाकर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों एवं नगर पालिका निगम वाले शहरों के मार्गों पर स्थित सूखे वृक्षों को काटकर उसके स्थान पर नवीन वृक्षारोपण कराया जाए'' तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सदस्य श्री इंदर चोपड़ा, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री चंदूलाल साहू, श्री चुरावन मंगेशकर ने चर्चा में भाग लिया.

श्री अजय चन्द्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प पर सदन का मत लिया गया.

संकल्प अस्वीकृत हुआ.

2. डॉ. बालमुकुन्द देवांगन, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर को क्षेत्रीय महाविद्यालय का दर्जा दिया जाए'' तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सदस्य डॉ. चेतन वर्मा, श्री देवजी भाई पटेल, ने चर्चा में भाग लिया,

श्री विक्रम उसेंडी, शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत निम्नानुसार संशोधित संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ :-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि

''शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन. आई. टी.) के रूप में उन्नयन किया जाए.

3. डॉ. चेतन वर्मा, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि सदन का यह मत है कि ''जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु राज्य शासन लक्ष्य प्राप्ति समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर क्रियान्वित करे'' तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सदस्य श्री विजय अग्रवाल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री बद्रीधर दीवान, श्री इंदर चोपड़ा ने चर्चा में भाग लिया.

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, स्वास्थ्य ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प पर सदन का मत लिया।

संकल्प अस्वीकृत ह

सायं 5.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 21 जून, 2004 (ज्येष्ठ 31, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के स्थगित की गई.

सोमवार, दिनांक 21 जून, 2004

(ज्येष्ठ 31, 1926)

विधान सभा पूर्वाहन 11.00 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 11, द्वितीय चक्र में 06 तथा तृतीय चक्र में 02 कुल 19 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 27 तारांकित तथा 33 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री पूनम चन्द्राकर राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अंतर्गत तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003, पटल पर रखा.

3. ध्यानाकर्षण

1. श्री राजेन्द्र पामभोई, सदस्य ने दंतेवाड़ा जिले के बीजापुर वन मण्डल में तेंदूपत्ता संग्रहण में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

   श्री गणेशराम भगत, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत आयरन स्पंज मिल से निकलने वाले राखड़ से प्रदूषण फैलने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

   श्री गणेशराम भगत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री संजीव शाह, सदस्य ने चौकी विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड मानपुर के स्कूलों में खेल के मैदान का अभाव होने,

2. श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या होने,

3. श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने धमतरी जिला मुख्यालय में रहस्यमय बीमारी से बच्चों की मौत होने, संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढीं.

5. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन से संबंधित मांग संख्या-1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय की मांग संख्या-2, ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या-12, जनसंपर्क विभाग से संबंधित मांग संख्या-32, विमानन से संबंधित मांग संख्या-65, खनिज साधन विभाग से संबंधित मांग संख्या-25, प्रस्तुत की.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए.

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री नंदकुमार पटेल.

सभापति माहोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए

सर्वश्री देवलाल दुग्गा, भूपेश बघेल, बद्रीधर दीवान, सत्यनारायण शर्मा.

सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए

सर्वश्री छतराम देवांगन, उदय मुदलियार, इंदर चोपड़ा, सिद्धनाथ, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री अघन सिंह ठाकुर, श्री ओंकार शाह, डॉ. बालमुकुंद देवांगन, श्री धर्मजीत सिंह.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, देवजी पटेल, देवव्रत सिंह, श्रीमती रमशीला साहू, श्री लच्छूराम कश्यप, लालसाय खुंटे, श्री महेन्द्र कर्मा (नेता प्रतिपक्ष).

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्तावों पर मत लिया गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.

मांगों पर मत लिया गया.

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हआ.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2004 पुर:स्थापित किया.

सायं 7.04 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 22 जून, 2004 (आषाढ़ 01, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

मंगलवार, दिनांक 22 जून, 2004

(आषाढ़ 1 , 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

[ता. प्र. सं. 14 (क्रमांक-1342) रायपुर में साहू समाज को छात्रावास निर्माण हेतु भूमि दिये जाने की कार्यवाही संबंधी प्रश्न पर चर्चा के दौरान प्रतिपक्षी सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.]

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 28 तारांकित प्रश्नों तथा 39 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

1. श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने केडिया तथा कुम्हारी डिस्टलरीज में श्रमिकों को वेतन भुगतान न किए जाने तथा उनकी छटनी किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्रम मंत्री, ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री नंदकुमार पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने रायगढ़ जिले में खाद व बीज वितरण की व्यवस्था न किये जाने की ओर कृषि एवं सहकारिता मंत्री का ध्यान अकार्षित किया.

श्री ननकीराम कंवर, कृषि एवं सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने दुर्ग के जिला शिक्षा विभाग में शिक्षा कर्मी वर्ग-3 की नियुक्ति की कार्यवाही में अनियमितता होने,

2. श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने रायपुर स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में संविदा कर्मचारियों को नियमित न किये जाने,

3. श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने कबीरधाम जिला अंतर्गत ग्राम झाडुटोला में शाला भवन निर्माण न किये जाने,

4. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने राज्य में खेल मैदान रख-रखाव के अभाव में बर्बाद होने,

5. डॉ. शिवकुमार डहरिया, सदस्य ने रायगढ़ जिले के ग्राम शिवपुरी की शासकीय भूमि को अवैध कब्जा कर खरीदी-बिक्री किये जाने, संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढीं.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

1. श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने रायपुर जिले के :-

क. धरसींवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम तरपोंगी खैरखुट सगुनी पहुँच मार्ग पर कोल्हान नाला पर ऊंचा पुल निर्माण किये जाने,

ख. धरसींवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत धरसींवा थाना का पुननिर्माण किये जाने,

ग. धरसींवा विधान सभा क्षेत्र के धरसींवा विकासखण्ड के ग्राम सिलयारी में उप-थाना भवन निर्माण किये जाने,

घ. विधान सभा क्षेत्र धरसींवा जिला-रायपुर अंतर्गत ग्राम धनेली से टेकरी मार्ग का निर्माण किये जाने .

2. डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सदस्य ने दुर्ग जिले के :-

क. शासकीय कला एवं कामर्स कालेज अर्जुन्दा में शिक्षण सत्र 2004 से विज्ञान एवं गणित संकाय प्रारम्भ करने,

ख. ग्राम देवरी विकासखण्ड गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र खेरथा अंतर्गत तांदुला नदी पर एनीकट कम रपटा निर्माण करने,

ग. विकासखण्ड डौंडीलोहारा विधान सभा क्षेत्र खेरथा के अंतर्गत नाहंदा से खमतराई मार्ग पर खरखरा नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

घ. विकासखण्ड डौंडीलोहारा विधान सभा क्षेत्र खेरथा के अंतर्गत मुडखुसरा भीमकन्हार आदि स्थानों पर सड़क डामरीकरण करने, के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत कीं.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री, ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाये.

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री सत्यनारायण शर्मा.

सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए

सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि एकाधिक बार अनुरोध के बावजूद लगभग 28 सदस्यों ने सदस्य परिचय हेतु स्वयं का जीवन परिचय सचिवालय में नही दिया है.

जीवन परिचय हेतु निर्धारित प्रारूप सूचना कार्यालय में उपलब्ध है मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया जीवन परिचय सूचना कार्यालय से प्रारूप प्राप्त कर आज ही भर कर दें.

जिन माननीय सदस्यों से जीवन परिचय अप्राप्त है उनके नाम इस प्रकार हैं :-

क्र.	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक	सदस्य का नाम	आसन क्र.
1.	02	श्री रामचंद्र सिंहदेव	58
2.	03	सुश्री रेणुका सिंह	08
3.	04	श्री शिवप्रताप सिंह	33
4.	10	श्री अमरजीत भगत	65
5.	11	श्री गणेश राम भगत	18
6.	14	श्री रामपुकार सिंह	80
7.	17	श्री विजय अग्रवाल	26
8.	23	श्री रामदयाल उइके	72
9.	25	श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल	51
10.	26	श्री धर्मजीत सिंह	60
11.	27	श्री चन्द्रभान बारमते	64
12.	28	श्री चुरावन मंगेशकर	74
13.	30	श्री अमर अग्रवाल	10
14.	32	डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी	13
15.	36	श्री मोतीलाल देवांगन	76
16.	40	श्री बृजमोहन अग्रवाल	03
17.	42	श्री धनेन्द्र साहू	82
18.	43	श्री सत्यनारायण शर्मा	66
19.	46	श्री चैतराम साहू	78
20.	49	श्री राजकमल सिंघानिया	75
21.	59	श्री इंदर चोपड़ा	90
22.	64	सुश्री लता उसेंडी	31
23.	75	श्री ताम्रध्वज साहू	62
24.	76	श्री हेमचंद यादव	05

क्र.	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक	सदस्य का नाम	आसन क्र.
25.	82	श्री लालमहेन्द्र सिंह	25
26.	86	श्री उदय मुदलियार	63
27.	88	श्री देवव्रत सिंह	61
28.	89	मो. अकबर	83

सदस्य परिचय समय पर छपकर मिले इस हेतु सदस्यों का सहयोग आवश्यक है.

(1.29 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

6. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए

सर्वश्री अघनसिंह ठाकुर, धर्मजीत सिंह, बद्रीधर दीवान, डॉ. शिवकुमार डहरिया, श्री इंदर चोपड़ा, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री उदय मुदलियार, श्री छतराम देवांगन.

सभापति महोदय (श्री अघनसिंह ठाकुर) पीठासीन हुए

सर्वश्री भूपेश बघेल, नोवेल कुमार वर्मा, देवजी पटेल, नंदकुमार पटेल.

(माननीय सभापति महोदय ने सदन की सहमति से विनियोग विधेयक पर विचार पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की)

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

श्री गणेश शंकर बाजपेयी, मंहत रामसुन्दर दास.

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री, ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 व अनुसूची विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने..

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2004 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

सायं 6.38 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 23 जून, 2004 (आषाढ़ 2, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 23 जून, 2004

(आषाढ़ 2 , 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

[ता. प्र. सं.-1 (क्रमांक-690) पंजीयक सहकारी समितियां छ. ग. द्वारा विधि विरुद्ध पुनरीक्षण के आधार पर सुनवाई संबंधी प्रश्न पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में प्रतिपक्षी सदस्यों ने कृषि मंत्री द्वारा संतोषजनक उत्तर न आने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया]

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 36 तारांकित तथा 51 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

1. श्री देवलाल दुग्गा सदस्य ने कांकेर जिले के विकासखण्ड कोयलीबेड़ा व अंतागढ़ में सूखा राहत कार्य के चावल वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री ओंकार शाह, सदस्य ने मलेरिया लिंक वर्करों के मानदेय भुगतान में भ्रष्टाचार किये जाने की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, स्वास्थ्य ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम 267 ''क'' के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267 ''क'' के अधीन लंबित सूचनाओं में से 10 सूचनाएं नियम 267 ''क'' (2) को शिथिल कर आज दिनांक 23-6-2004 को सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है.

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि निम्न लिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित

विभागों को भेजा जोयगा :-

1. श्री नंद कुमार पटेल
2. श्री महंत रामसुन्दर दास
3. श्री छतराम देवागंन
4. श्री देवव्रत सिंह
5. डॉ. शिवकुमार डहरिया
6. श्री धर्मजीत सिंह
7. श्री उदय मुदलियार
8. श्री देवजी पटेल
9. श्री रविन्द्र चौबे
10. डॉ. चेतन वर्मा

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

1. श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले के :-

(क) ग्राम चंगोरी विकासखण्ड अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा में हाईस्कूल खोलने,
(ख) जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम मुरलीकंजी एवं ग्राम संवई के मध्य कंजीनाला में स्टापडेम एवं पुल निर्माण करने,
(ग) जांजगीर-चांपा के विकासखण्ड बलौदा के अंतर्गत ग्राम गतवा में हाईस्कूल खोलने,
(घ) जांजगीर-चांपा के विकासखण्ड बलौदा के अंतर्गत ग्राम मदनपुरगढ़ के पास चौसरिया नाला में पुल निर्माण करने,

2. श्रीमती रमशीला साहू, सदस्य ने दुर्ग जिले के-

(क) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र जिला-दुर्ग में तांदुला नदी पर स्टाप डेम निर्माण करने तथा,
(ख) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र जिला-दुर्ग के अंतर्गत ग्राम सिकोसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना सहित 20 बिस्तर अस्पताल निर्माण करने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत की .

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अजय चन्द्राकर, पंचायत मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 9 सन् 2004) पर विचार किया जाये.

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, (नेता प्रतिपक्ष), छतराम देवांगन.

सभापति महोदय (श्री अघनसिंह ठाकुर) पीठासीन हुए

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, बद्रीधर दीवान, इंदर चोपड़ा.

(1.01 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए

श्री सत्यनारायण शर्मा.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, लच्छूराम कश्यप, धर्मजीत सिंह दयालदास बघेल, डॉ. हरिदास भारद्वाज.

6. वक्तव्य

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृहमंत्री ने जाली नोटों के प्रचलन संबंधी प्रकरणों पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में वक्तव्य दिया.

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने इस पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया व्यक्त की.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्री गणेश शंकर बाजपेयी.

सभापति महोदय (श्री अघनसिंह ठाकुर) पीठासीन हुए

डॉ. शक्राजीत नायक, सर्वश्री ओंकार शाह, कवासी लखमा (चर्चा अपूर्ण)

सायं 5.22 बजे माननीय सभापति द्वारा सदन की सहमति से विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 24 जून, 2004 (आषाढ़ 3, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

गुरुवार, दिनांक 24 जून, 2004

(आषाढ़ 3 , 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 12, द्वितीय चक्र में 03 कुल 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 25 तारांकित एवं 27 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकंल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री भरत साय, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 25 जून, 2004 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए उनके समक्ष अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय सं. क्र.	सदस्य का नाम	समय
1. (क्रमांक-3)	श्री रविन्द्र चौबे	50 मिनट
2. (क्रमांक-20)	श्री मोहम्मद अकबर	50 मिनट
3. (क्रमांक-21)	श्री देवजी पटेल	50 मिनट

श्री भरत साय, सभापति ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री ननकीराम कंवर (कृषि मंत्री) ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 की धारा 41 की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि

विश्वविद्यालय रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखा.

4. ध्यानाकर्षण

1. डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, श्री महेन्द्र कर्मा सदस्य ने कबीरधाम में यदुनाथ गोशाला की भूमि पर बलात कब्जा किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री नन्द कुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश में पाठ्यपुस्तकों की कमी होने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री विक्रम उसेंडी, शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. डॉ. शक्राजीत नायक, श्री रविन्द्र चौबे, श्री धर्मजीत सिंह सदस्य ने कृषि विभाग द्वारा प्रदेश की बाहर की फर्म से निम्न स्तर की पौध संरक्षण औषधि आदि का क्रय-विक्रय किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(प्रतिपक्षी सदस्यों ने कृषि मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया)

4. डॉ बालमुकुन्द देवांगन, सदस्य ने खेरथा विधान सभा क्षेत्र में शराब ठेकेदारों व आबकारी अधिकारी की मिलीभगत से देशी शराब की दुकान खोले जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

5. नियम 267 ''क'' के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267 ''क'' के अधीन लंबित सूचनाओं में से 10 सूचनाएँ नियम 267 ''क'' (2) को शिथिल कर आज दिनांक 24-06-2004 को सदन में लिये जाने की वे अनुज्ञा प्रदान करते हैं.

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि निम्न लिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री नंद कुमार पटेल
2. श्री महंत रामसुंदर दास
3. श्री छतराम देवांगन
4. श्री देवव्रत सिंह
5. डॉ. शिव कुमार डहरिया
6. कुमारी लता उसेंडी

7. श्री धर्मजीत सिंह
8. श्री उदय मुदलियार
9. श्री देवजी पटेल
10. श्री रविन्द्र चौबे

6. घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज सायं 7 बजे से विधान सभा परिसर में छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल की ख्यातिनाम लोक कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं पश्चात् मान. संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा रात्रि भोज का आयोजन किया गया है.

यह कार्यक्रम संस्कृति विभाग का अत्यन्त प्रतिष्ठापूर्ण कार्यक्रम है. सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में समय पर अवश्य उपस्थित हों. मान. संस्कृति मंत्री जी ने सदस्यों से सपरिवार कार्यक्रम में उपस्थिति हेतु आग्रह किया है.

मान. सदस्य कार्यक्रम में सपरिवार 7 बजे तक अवश्य उपस्थित हों इस दृष्टि से सभा की बैठक आज अपरान्ह 4 बजे तक होगी.

पंचायत संशोधन विधेयक पर चर्चा पूर्ण होने तक सभा की कार्यवाही जारी रहेगी.

विधेयक पारण के पश्चात् भोजन अवकाश होगा दोपहर भोज का आयोजन मा. पंचायत मंत्री जी द्वारा किया गया है.

भोजन अवकाश पश्चात् नियम 139 के अधीन अपरान्ह 4 बजे तक चर्चा होगी.

7. वक्तव्य

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृह मंत्री ने आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कार्य योजना के संबंध में वक्तव्य दिया.

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

कु. पिंकी ध्रुव, सदस्य ने धमतरी जिले के जिला धमतरी के नगरी तहसील मुख्यालय में उप कोषालय खोलने के संबंध में याचिका प्रस्तुत की.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004 पर पुनर्ग्रहीत चर्चा का श्री अजय चन्द्राकर, पंचायत मंत्री ने उत्तर दिया.

विचार के प्रस्ताव पर मत लिया गया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(1.58 बजे से 3.02 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि विधेयक के खण्ड-3 में इस प्रकार संशोधन किया जाये-

''मूल अधिनियम की धारा-36 की उपधारा (1) के

1. खण्ड (द) के-

उप खण्ड (दो) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं होगी.

उप खण्ड (तीन) में जनपद पंचायत के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के मामले में शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं होगी.

उप खण्ड (चार) में जिला पंचायत के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के मामले में शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं होगी तथा संक्षिप्त भाषण दिया.''

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संशोधन प्रस्ताव पर मत लिया गया.

संशोधन अस्वीकृत हुआ.

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि

विधेयक के खण्ड-3 में इस प्रकार संशोधन किया जाये-

मूल अधिनियम की धारा-36 की उपधारा (1) के खण्ड ''ढ'' एक से चार एवं परंतुक के स्थान पर ''जो साक्षर नही है'' स्थापित किया जाए. तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

श्री प्रीतमसिंह दीवान, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री अजय चन्द्राकर, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संशोधन प्रस्ताव पर मत लिया गया.

संशोधन स्वीकृत हुआ.

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि विधेयक के खण्ड-3 में इस प्रकार संशोधन किया जाये-

मूल अधिनियम की धारा-36 की उपधारा (1) के खण्ड (ण) में शब्द ''तीन माह'' के स्थान पर शब्द ''एक वर्ष'' जोड़ा जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सदस्य सर्वश्री देवजी पटेल, प्रीतम सिंह दीवान ने चर्चा में भाग लिया.

श्री अजय चन्द्राकर, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संशोधन प्रस्ताव पर मत लिया गया.

संशोधन स्वीकृत हुआ.

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि विधेयक के खण्ड-3 में इस प्रकार संशोधन किया जाये-

मूल अधिनियम की धारा-36 की उपधारा (1) के खण्ड (भ) में शब्द ''अतिक्रमण किया हो'' के पश्चात् शब्द ''तथा जिसका प्रकरण राजस्व न्यायालय में कम से कम एक वर्ष से चल रहा हो '' जोड़ा जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

श्री अजय चन्द्राकर, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संशोधन प्रस्ताव पर मत लिया गया.

संशोधन अस्वीकृत हुआ.

यथा संशोधित खण्ड-3 विधेयक का अंग बनाये जाने पर सदन का मत लिया गया.

यथा संशोधित खण्ड-3 विधेयक का अंग बना.

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि विधेयक के खण्ड-6 में इस प्रकार संशोधन किया जाये-

मूल अधिनियम की धारा-49 के अनुक्रमांक (25) खण्ड (ख) के पश्चात् जोड़े जाने वाले खण्ड (25-ग) में शब्द ''मूलभूत कार्यों के लिए मिलने वाली अनुदान राशि से'' को विलोपित किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

श्री अजय चन्द्राकर, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संशोधन अस्वीकृत हुआ.

खण्ड-6 विधेयक का अंग बनाये जाने पर सदन का मत लिया गया.

खण्ड-6 विधेयक का अंग बना.

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि विधेयक के खण्ड-8 में इस प्रकार संशोधन किया जाये-

1. मूल अधिनियम की धारा-65 की उपधारा (1) में प्रस्तावित संशोधन शब्द ''तीन वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''पांच वर्ष'' किया है, को शब्द ''तीन वर्ष'' ही रखा जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

श्री अजय चन्द्राकर, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संशोधन प्रस्ताव पर मत लिया गया.

संशोधन अस्वीकृत हुआ.

खण्ड-8 विधेयक का अंग बनाये जाने पर सदन का मत लिया गया.

खण्ड-8 विधेयक का अंग बना.

खण्ड 2, 4, 5, 7 व 9 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्णनाम तथा अधिनियम सत्र विधेयक के अंग बने.

श्री अजय चन्द्राकर, पंचायत मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

सायं 4.15 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 25 जून, 2004 (आषाढ़ 04, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

शुक्रवार, दिनांक 25 जून, 2004

(आषाढ़ 4 , 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 08 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

ता. प्र. संख्या 11 (क्रमांक-1174) राज्य में स्थापित नये उद्योगों की संबंधी प्रश्न पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री श्री अमर अग्रवाल, द्वारा श्री नंदकुमार पटेल के प्रति कहे गये शब्दों को सदस्य श्री नंदकुमार पटेल की आपत्ति के पश्चात् माननीय अध्यक्ष द्वारा विलोपित किये जाने की घोषणा के पश्चात् सदस्य श्री नंदकुमार पटेल ने माननीय अध्यक्ष से श्री अमर अग्रवाल को अपने शब्द वापस लेने हेतु निर्देश देने के लिए कहा. माननीय अध्यक्ष ने कहा कि उन शब्दों को विलोपित कर दिया गया है. लेकिन प्रतिपक्ष के सदस्य, श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य के नेतृत्व में सदन की कार्यवाही का बहिर्गमन कर सभा से बाहर चले गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित एवं 24 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यानाकर्षण

1. श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य ने संविदा शिक्षकों के वेतनमान व सेवा शर्तों में विसंगतियां होने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षित किया.

   श्री विक्रम उसेंडी, शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं तथा पटल पर रखे गए वक्तव्य

1. श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य बस्तर संभाग में नलकूप खनन हेतु निविदा स्वीकृति में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

2. श्री लालसाय खुंटे, सदस्य जल संसाधन विभाग में ठेका हेतु 50% धरोहर राशि जमा कराने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

3. श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास दुर्ग द्वारा फर्जी आहरण कर राशि का दुरुपयोग एवं सामग्री क्रय में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा आदिमजाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

4. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य रायपुर शहर के खमतराई ओव्हर ब्रिज में दरार पड़ने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

5. श्री छतराम देवांगन, सदस्य हेंडलूम टेक्सटाइल डिप्लोमा हेतु प्रशिक्षणार्थियों के चयन में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा ग्रामोद्योग मंत्री का वक्व्य.

6. श्री बैदूराम कश्यप, सदस्य केशलूर विधान सभा क्षेत्र में ब्लेक स्टोन का अवैध उत्खन्न किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य.

3. नियम 267 ''क'' के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि वे नियम 267 ''क'' के अधीन लंबित सूचनाओं में से 15 सूचनाएं नियम 267 ''क'' (2) को शिथिल कर आज दिनांक 25-06-2004 को सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान करते हैं.

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की, कि निम्न लिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री उदय मुदलियार
2. श्री राजेन्द्र पामभोई
3. श्री देवव्रत सिंह
4. श्री महंत रामसुंदर दास
5. श्री नंद कुमार पटेल
6. श्री ओंकार शाह
7. श्री नोवेल कुमार वर्मा
8. श्री संजीव शाह
9. डॉ. शिव कुमार डहरिया
10. श्री छतराम देवांगन
11. डॉ. शक्राजीत नायक
12. श्री रविन्द्र चौबे
13. श्री चन्द्रभान बारमते
14. श्री ताम्रध्वज साहू
15. श्रीमती रमशीला साहू
16. डॉ. सुभाऊ कश्यप

4. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने सदन को व्यवस्था देते हुए सूचित किया कि उन्होंने माननीय मंत्री श्री अमर अग्रवाल के शब्दों को उसी समय विलोपित कर दिया था अत: माननीय श्री नंदकुमार पटेल द्वारा पश्चात् मुझ से यह अनुरोध करना कि माननीय मंत्री श्री अमर अग्रवाल को वह शब्द वापस लेने के लिये कहूँ, संभव नहीं था क्योंकि वे शब्द कार्यवाही में थे ही नहीं. सभा की कार्यवाही में आसंदी पर सभा की कार्यवाही चलाने का दायित्व होता है. ऐसे अवसर आ सकते हैं जब कोई सदस्य आसंदी की व्यवस्था या निर्देश से सहमत नहीं हो, इसके बावजूद सदस्यों को इस सदन की, आसंदी की एवं अपनी स्वयं की गरिमा बनाए रखने के लिए अपना आचरण, उनसे अपेक्षित आचरण के अनुरूप रखना चाहिए. अध्यक्षीय व्यवस्था पर सभा का बहिष्कार करना, संसदीय परम्पराओं के विपरीत है. वे प्रतिपक्ष के समस्त सदस्यों से अपील करते हैं कि वे सभा की कार्यवाही में हिस्सा लें.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

1. श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले के -

(क) जिला जांजगीर-चांपा के अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम-देवरी विकासखंड-बलौदा में हाईस्कूल खोलने.

(ख) जिला जांजगीर-चांपा के अकलतरा विकासखंड क्षेत्र के अन्तर्गत अकलतरा से कापन मार्ग को डामरीकरण करने.

(ग) जिला जांजगीर-चांपा के अकलतरा विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत बलौदा विकासखंड में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने.

(घ) जिला जांजगीर-चांपा विकासखंड-अकलतरा के ग्राम-नरियरा में कन्या हाईस्कूल खोलने.

2. श्री लच्छूराम कश्यप, सदस्य ने बस्तर जिले के-

(क) विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट, ग्राम पंचायत-ककनार, विकासखंड-लोहण्डीगुड़ा, जिला-बस्तर के अन्तर्गत ग्राम-ककनार में खोले गये आश्रम को ग्राम-मिपनार, विकासखण्ड लोहण्डीगुड़ा में स्थान परिवर्तन करने.

(ख) बस्तर जिला के विकासखंड लोहण्डीगुड़ा अंतर्गत ग्राम बाधनपाल से दावपाल तक मार्ग का कार्य पूर्ण किये जाने.

(ग) बस्तर जिले के चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोहण्डीगुड़ा में कन्या हाईस्कूल खोलने.

(घ) ग्राम रोजे विकासखण्ड गीदम में हाईस्कूल खोलने.

(ङ) बस्तर जिले के चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बास्तानार में हाईस्कूल खोलने.

(च) बस्तर जिले के विकासखण्ड लोहण्डीगुड़ा में सूखाराहत के अंतर्गत ग्राम परियामुड़ा से ग्राम कोठियामुड़ा तक सड़क निर्माण करने.

(छ) बस्तर जिले के चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम अलनार विकासखंड लोहण्डीगुड़ा में हाईस्कूल खोलने, तथा

3. श्रीमती रमशीला साहू, सदस्य ने दुर्ग जिले के-गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरबसपुर में लघु स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत की.

6. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिये अधिग्रहीत की गई भूमि कें मुआवजे का कृषकों को भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर सर्वश्री नंद कुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, सदस्य के अनुपस्थित होने से चर्चा प्रारम्भ नहीं हुई.

माननीय अध्यक्ष ने 3.00 बजे से अशासकीय कार्य लिये जाने की घोषणा करते हुए सभा की कार्यवाही 12.20 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक के लिए स्थगित की.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए

कार्यवाही प्रारम्भ होते ही नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अचानक हुई अप्रिय स्थिति के बाद उन्होंने अपने दल के सदस्यों साथ तथा माननीय अध्यक्ष से चर्चा करने के बाद प्रतिपक्ष ने यह निर्णय लिया है कि सदन की मर्यादित परम्पराएं बनी रहें इसलिए वे सदन की कार्यवाही में भाग लेते हुए सदन की गरिमा को बनाये रखेंगे.

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने कहा कि सदन में कई बार ऐसे प्रसंग आए हैं, हास्य-विनोद में बहुत सी टिप्पणियाँ दोनों पक्षों से हुई है, लेकिन कभी भी इस प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं बनीं. दोनों ही पक्ष इसको सहजता से लेते हैं. उन्होंने आगे कहा कि उनकी भावना माननीय सदस्य की भावना को ठेस पहुँचाने की नहीं थी. अगर माननीय सदस्य को उनकी किसी बात से ठेस लगी है या वे उस बात को सहजता से नहीं ले पाये, माननीय सदस्य सहज रहें. इसलिए वे अपने शब्द वापस लेते हैं.

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की, कि प्रश्नकाल के दौरान जो भी अप्रिय शब्द या आरोप पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक दूसरे के प्रति लगाये हैं वे सारे आरोप व शब्द विलोपित किये जाते हैं.

7. अशासकीय संकल्प

1. कार्यसूची में पद क्रमांक-5 के उप पद (1) एवं (2) में दर्ज अशासकीय संकल्प प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के अनुपस्थित रहने से प्रस्तुत नहीं हुए.

2. श्री देवजी पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि ''सदन का यह मत है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियारों, उपकरणों से सुसज्जित कर विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावें.'' तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सदस्य सर्वश्री देवव्रत सिंह, इंदर चोपड़ा, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री अघनसिंह ठाकुर ने चर्चा में भाग लिया.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत सदन में निम्नानुसार यथा संशोधित संकल्प स्वीकृत हुआ.

''यह सदन छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियारों, उपकरणों से सुसज्जित कर विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं वामपथ उग्रवाद से निपटने में सहयोग हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है''

8. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

1. दिनांक 1 जून 2004 को गृह मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या-4 (क्रमांक-497) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री देवव्रत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारम्भ की.

सदस्य डॉ. हरिदास भारद्वाज ने चर्चा में भाग लिया.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

2. दिनांक 18 जून 2004 को उद्योग मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-7 (क्रमांक-1119) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री ओंकार शाह, सदस्य ने चर्चा प्रारम्भ की.

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

9. नियम-167 के अन्तर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-167 के अन्तर्गत उनके समक्ष विचाराधीन निम्नलिखित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं को उन्होंने अपने कक्ष में अग्राहय कर दिया है :-

1. माननीय सदस्य डॉ. शक्राजीत नायक द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला-रायगढ़ के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 01 जून 2004,

2. माननीय नेता प्रतिपक्ष सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, भूपेश बघेल, धर्मजीत सिंह, एवं अन्य सदस्य द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 15 जून, 2004,

10. सत्र का समापन

माननीय अध्यक्ष ने सत्र समापन के अवसर पर निम्नानुसार उद्गार किया:- आज विधान सभा के बजट सत्र का अंतिम दिन है. हम सब 22 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक संभावित शीतकालीन सत्र में पुन: मिलने की उम्मीद के साथ विदा हो रहे हैं.

नवगठित सरकार का यह पहला बजट सत्र था और नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए बजट पर चर्चा और उसके पारण की प्रक्रिया का अनुभव भी पहला ही था फिर भी इस सत्र के वित्तीय एवं अन्य कार्य को निपटाने में माननीय सदस्यों ने जो रुचि दिखाई और उससे जो नये मानदण्ड स्थापित हुए हैं, उनसे छत्तीसगढ़ विधान सभा की कार्य संस्कृति के संबंध में एक अच्छा संदेश आम जनता में जायेगा.

आप सबको यह जानकर खुशी होगी कि वर्ष 2001 में हुए प्रथम विधान सभा के प्रथम बजट सत्र में विभागीय मांगों पर 35.41 घंटे चर्चा हुई थी और द्वितीय एवं तृतीय बजट सत्र में क्रमश: 34.49 घंटे और 16.34 घंटे. वहीं इस बजट सत्र में मांगों पर 54.18 घंटे चर्चा हुई है.

सर्वाधिक लंबी अवधि की ''बजट पर सामान्य चर्चा'' तृतीय बजट सत्र में 6.31 घंटे हुई थी जो इस सत्र में बढ़कर 8.6 घंटे हुई अर्थात् अब तक की सर्वाधिक लम्बी चर्चा. यही नहीं विनियोग विधेयक पर प्रथम बजट सत्र में 2 मिनट, द्वितीय बजट सत्र में 1 घंटा, तृतीय बजट सत्र में 2.38 घंटे चर्चा हुई, इस बार यह चर्चा सर्वाधिक 6 घंटे हुई है.

यह तथ्य आम जनता को राहत देने के लिए काफी है कि उनके नवनिर्वाचित प्रतिनिधि उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं.

प्रश्नकाल में भी प्रत्येक जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई. यह प्रथम अवसर था जब दिनांक 21 जून को प्रश्नकाल में तृतीय चक्र को पूरा करके दो सदस्यों ने प्रश्न पूछे. इस सत्र में 5 बार प्रश्नों के पूरे चक्र पूरे किये गये. इस सत्र में अन्य बजट सत्रों की अपेक्षा सर्वाधिक 265 मौखिक प्रश्न पूछे गये. अब तक के तीन बजट सत्रों में प्रश्नकाल में प्रश्नों पर ''मौखिक चर्चा'' का औसत क्रमश: 8, 6 और 6 प्रश्नों प्रतिदिन का था वह इस बार यह औसत बढ़कर लगभग 12 प्रश्नों का हो गया. आप मानेंगे कि अधिक प्रश्नों पर हुई चर्चा का दोहरा असर हुआ. इससे न केवल जनहित के अधिकाधिक मामले सदन में आए और अधिक सदस्यों को चर्चा का मौका मिला वरन् माननीय मंत्रिगणों को भी अधिक जागरूक होकर और अधिक विषयों की तैयारियां करके सदन में आने के लिए बाध्य होने पड़ा, और इसका परिणाम यह हुआ कि इस सत्र में 40 जांच एवं एक निलंबन की घोषणा संबंधित मंत्रियों ने की.

शिक्षा मंत्री श्री विक्रम उसेंडी ने शिक्षा विभाग के और पंचायत मंत्री श्री अजय चन्द्राकर ने सभी विभागों के मिलाकर सर्वाधिक 28-28 प्रश्नों के उत्तर दिए.

प्रश्नकाल में गृह लक्ष्मी योजनान्तर्गत दिए गए गैस कनेक्शन, अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों की व्यवस्था, सिंचाई बांधों की क्षमता को बढ़ाने तथा बोरा खरीदी के मामलों में महत्वपूर्ण व सारगर्भित चर्चा हुई. प्रश्नकाल में ही प्रथम बार निर्वाचित सदस्य सुश्री लता उसेण्डी ने बस्तर जिले के सामुदायिक उद्हन सिंचाई योजना का मामला उठाकर प्रदेश भर के आदिवासियों की समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया और शासन ने भी इनका सकारात्मक उत्तर देकर मामले की गंभीरता को माना. इसी तरह श्री गुलाब सिंह के एक प्रश्न पर माननीय गृह मंत्री ने भी विचाराधीन कैदियों की समस्या का तत्काल ही निदान किया.

इस सत्र में 80/100 और 60/70 लगातार हावी रहा. मैं समझता हूं कि डामर की गुणवत्ता के संबंध में जितने प्रश्न और ध्यानाकर्षण इस सत्र में आये और जो गंभीर चर्चा हुई, भविष्य में उसका लाभ प्रदेश को अवश्य मिलेगा.

प्रश्न पूछने के मामले में नवनिर्वाचित सदस्य किसी भी प्रकार पीछे नहीं थे. नवनिर्वाचित 8 सदस्यों को छोड़ सभी ने प्रश्न पूछे. नवनिर्वाचित सदस्यों में सर्वाधिक 69 प्रश्न श्री लालसाय खूंटे ने किए, श्री देवजी पटेल 68 प्रश्न पूछकर दूसरे नम्बर पर रहे.

इस सत्र में ग्राह्य ध्यानाकर्षण सूचनाओं की संख्या 200 है जबकि पहले बजट सत्र में यह संख्या 135 थी, वह भी उस स्थिति में जब सदन की बैठक 28 दिन चली थी जबकि इस बार बैठकों की संख्या 23 ही है. तात्पर्य यह कि कम बैठकों के बावजूद सभी महत्वपूर्ण विषय चर्चा में आए और पुराने सदस्यों के साथ नए सदस्य भी अवसर पा सकें, इसका पूरा प्रयास किया गया. ग्राह्य ध्यानाकर्षण सूचनाओं में 22 सूचनाएं प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों द्वारा दी गई थी. ग्राह्य सूचनाओं में सत्ता पक्ष के सदस्यों की सूचनाओं की संख्या 13 तथा प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं की संख्या 187 रही.

प्रश्नों में भी 80 प्रतिशत प्रश्न प्रतिपक्षी सदस्यों के थे और 20 प्रतिशत सत्ता पक्ष के सदस्यों के.

प्रथम बजट सत्र में जहां 6 अशासकीय संकल्प चर्चा में आये थे वहीं इस बार 9 अशासकीय संकल्प चर्चा में आये हैं और उनमें से 5 अशासकीय संकल्प पारित भी हुए. इनमें बिलासपुर में रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्ड की स्थापना, सिकलसेल बीमारी की रोकथाम, जिला मुख्यालयों में खेल परिसर के विकास और शासकीय इंजीनियरिंग कालेज को एन. आई. टी. के रूप में उन्नत करने के मामले प्रमुख थे. स्पष्ट है कि प्रदेश हित के मामलों में सभी सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठकर जनसेवा के लिए कृत-संकल्पित हैं.

जनहित के मामलों में प्रतिपक्ष एवं सत्ता पक्ष की एकजुटता का महत्वपूर्ण उदाहरण तब भी मिला जब कृषकों के खाद-बीज की व्यवस्था के संबंध में श्री नन्दकुमार पटेल व डॉ. शक्राजीत नायक की ध्यानाकर्षण सूचना पर कृषि एवं सहकारिता मंत्री श्री ननकीराम कंवर ने समस्या की

गंभीरता को तुरंत स्वीकार किया और एक सप्ताह के भीतर रायगढ़ और जशपुर के किसानों की बड़ी समस्या का समाधान करने की घोषणा की.

मैं समझता हूं प्रश्न, ध्यानाकर्षण, स्थगन और अशासकीय संकल्पों के माध्यम से ऐसा कोई जनहित का विषय नहीं था जो सदन की चर्चा में नहीं आ पाया हो, और ऐसा कोई विभाग भी नहीं बचा जिसका कोई न कोई मामला किसी न किसी माध्यम से चर्चा में न आया हो. धान खरीदी, चना, चटाई और बारदाना खरीदी, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और छात्रों के हितों का मामला, सालबीज की बिक्री का मामला व वृष्टि छाया योजनान्तर्गत खनित नलकूपों में विद्युत कनेक्शन, राहत कार्यों की मजदूरी के भुगतान के मामलों पर भी गंभीरता से चर्चा हुई.

इस सत्र में पंचायत राज संशोधन विधेयक पर 5 घंटे 5 मिनट तक चर्चा हुई जो अब तक किसी भी विधेयक पर हुई चर्चा में सर्वाधिक समय है. इससे पूर्व छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद् विधेयक पर 3 घंटे चर्चा हुई थी.

यह सत्र वस्तुत: हम सभी के लिए कुछ न कुछ सीखने का अवसर था क्योंकि हम सब बदली भूमिका में हैं. सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष ने तो सीखा ही, मैंने भी सीखा. यह भी सुखद रहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य श्री नोवेल कुमार वर्मा ने बिना मेरे संरक्षण के बोलना सीख लिया. उन्होंने इस सत्र में कई महत्वपूर्ण मामले उठाकर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज की.

नवनियुक्त मंत्रिगण ने काफी परिश्रम किया और उनके उत्तरों की गुणवत्ता में प्रश्नों के हर चक्र के बाद सुधार दिखाई दिया, उनमें अधिक आत्मविश्वास आया है. प्रतिपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों के तीखे हमलों से बचने के लिए सत्ता पक्ष के नये मंत्री जितनी मेहनत कर रहे थे उतना ही परिश्रम हमारे प्रतिपक्षी सदस्यों ने भी किया. मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि हमारे पूर्व मंत्री जो आज प्रतिपक्ष के विधायक हैं उन्होंने अच्छा व प्रभावी विधायक बनने में बिल्कुल भी देर नहीं की और उन्होंने अपनी चर्चाओं के माध्यम से सदन में अच्छा प्रभाव छोड़ा. इस संबंध में बजट पर हुए सामान्य चर्चा के दौरान पूर्व वित्त मंत्री श्री रामचंद्र सिंहदेव के भाषण का विशेष उल्लेख करूंगा. उनके भाषण में प्रदेश हित के ठोस सुझाव थे और स्वस्थ आलोचना का पुट भी, और उनके भाषण को सभी पक्षों ने सराहा. पंचायत राज संशोधन विधेयक पर श्री रवीन्द्र चौबे, सदस्य के भाषण एवं सुझावों को भी मैं इसी श्रेणी में रखता हूं.

सदन में प्रभावी उपस्थिति में नए सदस्य भी पीछे नहीं रहे. बहुजन समाज पार्टी की महिला सदस्य ने अपने प्रस्तुतिकरण से जहां सबको प्रभावित किया वहीं भारतीय जनता पार्टी के लच्छुराम कश्यप ने जिस तरीके से इन्द्रावती नदी के जल के स्तर में कमी और बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों की समस्याओं को रखा वह सराहनीय है. प्रतिपक्ष के पहली बार निर्वाचित सदस्य श्री अमरजीत भगत का प्रस्तुतीकरण भी अच्छा रहा और यही स्थिति महिला सदस्यों की भी थी.

मुझे आप सभी को यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि सचिवालय की संदर्भ शाखा से सदस्यों ने जो संदर्भ लिए उनकी संख्या 38 है और 29 सदस्यों ने पुस्तकालय में जाकर विभिन्न मामलों का अध्ययन किया, यह सदस्यों की संसदीय कार्य पर रुचि को दर्शाता है और सदन में हुई चर्चा की गुणवत्ता उनकी इस मेहनत को पुष्ट करती है.

इस विधान सभा को यह गौरव प्राप्त है कि देश में पहली बार गर्भगृह में नहीं आने और गर्भगृह में आने वालों का स्वमेव निलंबन का संकल्प नियम बनाकर लिया गया. मुझे यह कहते हुए अत्यधिक प्रसन्नता है और गौरव भी महसूस करता हूं कि इस बजट सत्र में एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब प्रतिपक्षी सदस्य गर्भगृह में आये हों. यह देश की अन्य विधान सभाओं के लिए एक अच्छा संदेश है और सदस्यों की चर्चा के प्रति गंभीरता और जनहित के मामलों को सुलझाने के प्रति गंभीरता को भी प्रदर्शित करता है.

इस सत्र में हमने माननीय सदस्यों के लिए 'बजट-साहित्य' को समझने के लिए 2 दिन का प्रबोधन कार्यक्रम रखा था और माननीय पत्रकारों के लिए 'संसदीय-रिपोर्टिंग' की कार्यशाला भी आयोजित की थी जिसका बहुत अच्छा परिणाम इस सत्र में देखने को मिला है. मैं इतना

ही कह सकता हूं कि चाहे मीडिया के मित्र हों या माननीय विधायकगण हों वे जो-जो भी जानना चाहेंगे या जिस प्रकार का सहयोग इस सचिवालय से चाहेंगे, प्रदेश-हित के किसी भी मामलों में यह सचिवालय किसी भी सहयोग के लिए पीछे नहीं रहेगा. यह प्रदेश देश के श्रेष्ठ प्रदेशों में गिना जाये, यह विधान सभा देश के सर्वश्रेष्ठ विधान सभाओं में गिनी जाये, इसके लिए जो भी आवश्यक होगा वह किया जायेगा. सदस्यों एवं प्रदेश को श्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस सचिवालय को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है और यदि विधायकगण रुचि लेंगे तो उन्हें निकट भविष्य में कम्प्यूटर प्रदाय करने पर भी मैं अवश्य ही विचार करूंगा ताकि वे बदलते युग में अपने आप को ज्यादा अद्यतन कर सकें.

माननीय सदस्यों को स्वस्थ, प्रसन्नचित रहकर आम जनता की सेवा योग्य बनाने की दृष्टि से विधान सभा सचिवालय में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया. समस्त विशेषज्ञों की सेवाओं का सदस्यों ने लाभ लिया और विधायक विश्राम गृह में आयोजित योग शिविर के भी अच्छे परिणाम आए.

सम्पूर्ण बजट सत्र का सुचारू संचालन सभी के सक्रिय सहयोग के बिना संभव नहीं था. इस हेतु सर्वप्रथम मैं सदन के नेता का आभारी हूं जिन्होंने इस पूरे सत्र में सदन के सुचारू संचालन में सहयोग प्रदान किया. नेता प्रतिपक्ष का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उनके सकारात्मक सहयोग के बिना इतने कार्यों का निपटारा संभव नहीं था. अधिक समय बैठकर सभी विभागों की मांगों पर चर्चा की परम्परा बनी रहना इसका प्रमाण है. संसदीय कार्यमंत्री का मैं विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने अपने कार्य को आवश्यकता के अनुकूल संपादित किया और सदन में एक सुचारू व्यवस्था और कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने में वे मेरे सहयोगी बने. संसदीय कार्य विभाग का विभागीय सामंजस्य भी विधान सभा सचिवालय से अच्छा रहा. सभापति तालिका के सदस्यों का मैं विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने बहुत दक्षता से सदन का संचार्लन कर मुझे सहयोग दिया.

मीडिया की संसदीय-रिपोर्टिंग में परिपक्वता लगातार बढ़ रही है इसे मैं रेखांकित करना चाहता हूं. उन्हें इस बार कार्यशाला के माध्यम से सदन के कार्य की तकनीकों को बताया भी गया है और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं. जिस गुणवत्ता की रिपोर्टिंग उन्होंने की है उसके लिए मैं इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों को बधाई देता हूं. सुरक्षाकर्मियों को भी मैं बधाई देता हूं जो इस सत्र के सुचारू संचालन में सहयोगी बने और कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी. अंत में मैं विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके परिश्रम से ही यह सत्र सुचारू चला.

एक अच्छी नई परम्परा पुनः प्रारंभ हो रहा है इसके लिए मैं सदन के नेता का आभारी भी हूं. मैंने प्रारंभ में ही अगले सत्र की संभावित तिथि की घोषणा की है. मुझे विश्वास है कि आने वाले सत्रों में हम सभी इसी प्रकार मिलकर अच्छी परम्पराएं बनाएंगे और प्रदेश की जनता की अधिक से अधिक सेवा हेतु एक-दूसरे के सहयोगी बनेंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य श्री नोवेल कुमार वर्मा, कु. कामदा जोल्हे ने भी इस अवसर पर उद्‌गार प्रकट किये.

सदन में ''जन गण-मन'' की धुन बजाई गई.

माननीय अध्यक्ष ने सत्र समापन करने की घोषणा की इसके पश्चात् 5.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.